

सीसीआईसी/सीएस/  
ई-नोटिस/  
अक्टूबर'2024/01

सीसीआईसी के नई दिल्ली शोरूम में  
रियायती व्यवस्थाओं के लिए ई-टेंडर



सीसीआईसी ऑफ इण्डिया  
लि.,  
पीएसयू (वस्त्र मंत्रालय)

रियायती व्यवस्थाओं के लिए  
ई-टेंडर नोटिस  
सीसीआईसी के नई दिल्ली शोरूम के लिए

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन  
ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी),  
वस्त्र मंत्रालय के अधीन



वस्त्र मंत्रालय के अधीन सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईसी), के एम्पोरियम में विभिन्न उत्पादों के लिए रियायती व्यवस्थाओं के लिए ई-टेंडर नोटिस।

**बायोडाटा शीट**

1.	एनआईटी टेंडर सं.	सीसीआईसी/सीएस/ई-नोटिस/ नई दिल्ली / अक्टूबर'2024/01
2.	प्रोजेक्ट	सीसीआईसी के नई दिल्ली शोरूम में रियायती व्यवस्थाओं के लिए ई-टेंडर नोटिस
3.	संपर्क सूत्र	कंपनी सचिव, टेली.011-23322107
4.	बोली को जमा करना	ऑनलाइन
5.	बोली की प्रक्रिया	दो बोली सिस्टम (तकनीकी एवं वित्तीय बोली)
6.	एनआईटी डाउनलोड एवं किसी अन्य संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट	<a href="http://www.thecottage.in">www.thecottage.in</a>
7.	ऑनलाइन जमा करने के लिए पोर्टल	<a href="http://www.eprocure.gov.in/eprocure/app">www.eprocure.gov.in/eprocure/app</a>
8.	बोली की वैधता	बोली खोलने की तिथि से 120 दिनों की अवधि के लिए बोली मान्य होगी
9.	चयन पद्धति	एच -1: तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के बीच उच्चतम प्रतिशतता
10.	कार्यान्वयन के लिए समय सीमा	टेंडर दस्तावेज के अनुसार
<b>कार्यक्रम</b>		
	<b>विषय</b>	<b>स्थान/तिथि/समय</b>
1.	प्रासंगिक दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण	सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001 <b>07/11/2024 से पूर्व, 03:00 बजे अपराह्न तक</b>
2.	प्री-बिड मीटिंग	<b>28/10/2024</b> को 3.00 बजे अपराह्न तक
3.	ऑनलाइन बोलियों का प्रस्तुतिकरण	एनआईसी का ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (eprocure.gov.in/eprocure/app) <b>07/11/2024 तक, 3:00 बजे अपराह्न तक</b>
4.	तकनीकी बोलियों का खुलना	एनआईसी का ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (eprocure.gov.in/eprocure/app) <b>08/11/2024, 04:00 बजे अपराह्न</b>
5.	वित्तीय बोलियों का खुलना	तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

**नोट:** यदि उपरोक्त वर्णित दिनों में से किसी को भी अवकाश घोषित किया जाता है, तो उक्त आयोजन अगले कार्य दिवस पर उसी समय और स्थल पर आयोजित किया जाएगा।



## सीसीआईसी के शोरूमों में रियायती व्यवस्था के प्रस्ताव के लिए ई-टेंडर

### निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश

#### 1. टेंडर के लिए अनुरोध

#### **सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड**

भारत सरकार का उपक्रम, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

टेलीफोन नं. 011 - 2332 3825, 011-23322107

फैक्स नं. 011-23323854

वेबसाइट : [www.thecottage.in](http://www.thecottage.in)

ई-मेल : [cscic@gmail.com](mailto:cscic@gmail.com)

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सीसीआईसी), अनुलग्नक ए में बताए अनुसार अपने शोरूम में काउंटर पर रियायती आधार पर विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के मार्केटिंग / बिक्री के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करता है।

#### **सीसीआईसी के बारे में संक्षिप्त विवरण**

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सीसीआईसी) वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम है। सीसीआईसी नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चैन्नई, हैदराबाद तथा केवड़िया (गुजरात) में "सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम" (सीसीआईई) के नाम और शैली में खुदरा शोरूम संचालित करता है।

सीसीआईसी देश भर से उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बेचता है जिसमें हैंडलूम में साड़ी, शॉल, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग, पीतल के बर्तन, मार्बल के उत्पाद, आर्ट ऑब्जेक्ट, कालीन, पॉटरी, फर्नीचर, लकड़ी के उत्पाद और टेराकोटा आइटम शामिल हैं लेकिन उत्पाद इतने तक ही सीमित नहीं हैं। सीसीआईसी अपने माल को सीधे कारीगरों, बुनकरों, कुम्हारों, मूर्तिकारों और शिल्पकारों से प्राप्त करता है। कई सप्लायर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, राज्य पुरस्कार विजेता और शिल्पगुरु हैं। यह भारत के शिल्पकारों को उनके सतत विकास के लिए अपने उत्पादन का विपणन करने के लिए एक बाजार मंच प्रदान करता है।

सीसीआईसी शोरूम में वीवीआईपी, कला प्रेमी, प्रतिनिधिमंडल, गणमान्य व्यक्ति, प्रवासी भारतीय और विदेशी पर्यटक आते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और उनके पति/पत्नियों ने सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम का दौरा किया है। सीसीआईसी को देखना विदेशी पर्यटकों के यात्रा-वृत्तान्त में एक अनिवार्य स्थान रखता है क्योंकि यह भारत की समृद्ध विरासत, परंपरा और संस्कृति को देखने का अवसर प्रदान करता है।

सीसीआईसी के पास, हस्तशिल्प व्यवसाय में 70 वर्षों से अधिक अपने दीर्घ अनुभव के आधार पर एक ठोस ब्रैंड नाम और गुणवत्ता के लिए ख्याति है।

#### **2. अनुबंध की अवधि**

3 (तीन) वर्ष जिसका स्थान की उपलब्धता होने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अगले 2 (दो) वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है।



### 3. रियायती व्यवस्था के नियम और शर्तें

- ए. सीसीआईसी के विभिन्न स्थानों पर अन्य दुकानों सहित नई दिल्ली शाखा के लिए - न्यूनतम आरक्षित मूल्य 500/- रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह होगा और जीएसटी को छोड़कर सकल बिक्री पर प्रतिशत राजस्व पार्टी द्वारा प्रस्तावित उच्चतम प्रतिशत पर आधारित होगा;
- बी. जीएसटी को छोड़कर सकल बिक्री पर न्यूनतम प्रतिशत 10% या अधिक होना चाहिए। सकल बिक्री का मतलब जीएसटी को छोड़कर छूट से पहले की सकल बिक्री है। यह बात दिल्ली के साथ-साथ दुकानों समेत अन्य शाखाओं पर भी लागू होती है;
- सी. प्रत्येक श्रेणी में पार्टी द्वारा उद्धृत उच्चतम प्रतिशत (एच1) को रियायतग्राही व्यवस्था के तहत स्थान दिया जाएगा और तीन साल के लिए वैध होगा;
- डी. बिक्री मिलान मासिक आधार पर किया जाएगा और सभी उत्पाद सीसीआईसी के ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे;
- ई. अन्य सभी नियम और शर्तें रियायतग्राही समझौते के अनुसार होंगी;
- एफ. इस व्यवस्था के लिए लॉक-इन अवधि छह महीने के लिए होगी, यदि पार्टी लॉक-इन अवधि से पहले सीसीआईसी एम्पोरियम में आवंटित क्षेत्र को खाली कर देती है, तो वापसी योग्य सुरक्षा राशि सीसीआईसी द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

### 4. स्थान आवंटन की पद्धति

- ए. एच1 पार्टी को 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए सीसीआईसी एम्पोरियम में स्थान प्रदान किया जाएगा जिसे स्थान की उपलब्धता के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अगले 2 (दो) वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है;
- बी. यदि H1 पार्टी अपनी सहमति वापस ले लेती है तो H1 पार्टी के अलावा बोली जमा करने वाली अन्य पार्टियों को रिक्त स्थान का उपयोग करने का विकल्प/अवसर मिलेगा और H2 पार्टी को H1 द्वारा उद्धृत दर पर स्थान की पेशकश की जाएगी;
- सी. यदि ई-मेल प्राप्त होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर H2 पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो रिक्त स्थान H3 आदि-आदि पार्टी को H1 पार्टी द्वारा उद्धृत दर पर ही प्रदान किया जाएगा;
- डी. यदि निविदा के लिए आवेदन करने वाले किसी भी पक्ष को स्थान आवंटित नहीं किया जाता है, तो पुनः निविदा प्रक्रिया/प्रारंभ की जाएगी।

### 5. पात्रता मापदंड :

- (i) अनुभव: आवेदित उत्पाद श्रेणी में 31.03.2024 की तिथि को न्यूनतम तीन वर्ष (प्रमाण संलग्न करें) ;
- (ii) व्यक्तिगत/साझेदारी फर्म/कंपनी/एनजीओ/सहकारी समिति आदि प्रमाण के रूप में सहायक दस्तावेजों के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं;
- (iii) पार्टी को संबंधित उत्पाद श्रेणी में संगत/आवश्यक प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, संलग्न करना होगा;
- (iv) न्यूनतम टर्नओवर: अनुबंध ए के अनुसार।
  - टर्नओवर उसी उत्पाद श्रेणी का होना चाहिए जिसके लिए आवेदन किया गया है और यदि ऑडिटेड बैलेंस शीट या आईटीआर से पहचान योग्य न हो तो सीए प्रमाणपत्र संलग्न किया जा सकता है ;
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पॉलिसी परिपत्र संख्या 1(2)(1)/2016-एमए दिनांक 10 मार्च, 2016 के अनुरूप "पूर्व अनुभव और पूर्व टर्नओवर मानदंड पर में सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए मानदंडों में छूट", गुणवत्ता और तकनीकी विशेषताओं को पूरा करने की शर्त पर, एमएसई के लिए पूर्व टर्नओवर और पूर्व अनुभव के मानदंड में छूट दी गई ;



- डीपीई का.ज्ञा. संख्या डीपीई/7(4)/2007-वि. दिनांक 08-11-2016 के अनुरूप "पूर्व अनुभव के संबंध में सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप मध्यम उद्यमों के लिए मानदंडों में छूट - पूर्व टर्नओवर मानदंड" और "स्टार्टअप इंडिया के लिए कार्य योजना" की धारा 2.1(5) के अनुसार जनवरी 2016 में भारत सरकार द्वारा घोषित गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के अधीन, स्टार्टअप के लिए पूर्व टर्नओवर और पूर्व अनुभव के मानदंड से छूट दी गई है ;

हालाँकि, ऐसी परिस्थितियों में जहां आइटम/श्रेणी सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा संचालन और उपकरणों आदि से संबंधित है, सीसीआईसी ऐसी वस्तुओं/श्रेणी के लिए, जहां पर्याप्त औचित्य हो, नई संस्थाओं को आदेश देने के बजाय पूर्व अनुभव वाले पक्ष को प्राथमिकता दे सकता है। सीसीआईसी एमएसई के लिए पूर्व अनुभव/टर्नओवर के मानदंड में छूट नहीं दे सकता है ।

एमएसई बोलीदाताओं को पूर्व अनुभव मानदंड से छूट की पेशकश की जाएगी, बशर्ते बोलीदाता व्यापार समान श्रेणी में बोलीदाता के पंजीकरण को साबित करने के लिए एमएसई पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करे ।

इसी प्रकार, एमएसई बोलीदाताओं को पूर्व टर्नओवर मानदंड से छूट की पेशकश की जाएगी, बशर्ते बोलीदाता एमएसई पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज जमा करे ।

"स्टार्टअप" की परिभाषा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की 17 फरवरी 2016 की राजपत्रित अधिसूचना और उसके बाद के सभी अन्य निर्देशों/दिशानिर्देशों/संशोधनों के अनुसार है । स्टार्टअप उद्यमों को पूर्व अनुभव और पूर्व टर्न ओवर में छूट पर विचार करने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी स्टार्टअप इंडिया मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्टार्ट अप/एमएसएमई को लाभ/छूट अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी ।

सीसीआईसी बोलीदाताओं से दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के तहत सीसीआईसी के शोरूमों में रियायती व्यवस्था के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करता है ।

इच्छुक बोलीदाता यहां मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी के साथ निर्धारित प्रारूप में एनआईसी के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (eprocure.gov.in) का उपयोग करके अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

बोलियां **07/11/2024** को अपराह्न 3.00 बजे तक जमा की जा सकती हैं। बोलियां **08/11/2024** को शाम 04.00 बजे खोली जाएंगी।

निविदा से संबंधित सभी विवरण वेबसाइटों [www.thecottage.in](http://www.thecottage.in), और [www.eprocure.gov.in/eprocure](http://www.eprocure.gov.in/eprocure) पर उपलब्ध हैं: इस निविदा के संबंध में कोई भी परिवर्तन/संशोधन/शुद्धिपत्र/स्थान का आवंटन, यदि कोई हो, केवल इनमें से एक या अधिक वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसलिए संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे खुद को अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइटों पर नजर रखें। सीसीआईसी कोई व्यक्तिगत जानकारी भेजने या सार्वजनिक नोटिस जारी करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

## 6. बोलियों का इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण

- i. इस निविदा के लिए बोलियां(तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव) एनआईसी के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (eprocure.gov.in) के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त की जाएगी। हार्ड कॉपी या किसी अन्य रूप में कोई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।



- ii. ई-बोलियों को प्रस्तुत करने के लिए, बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होने पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करके [eprocure.gov.in](http://eprocure.gov.in) वेबसाइट पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
- iii. बयाना राशि (ईएमडी) को टेंडर में उल्लिखित बैंक विवरण के अनुसार ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ऑन-लाइन जमा कराना होगा।

बोलीदाताओं को निम्नलिखित की सॉफ्ट प्रतियां अपलोड करना आवश्यक होगा :

- तकनीकी प्रस्ताव (कंपनी के पत्र शीर्ष पर तैयार)।
- वित्तीय प्रस्ताव (कंपनी के पत्र शीर्ष पर तैयार)।
- पैन और जीएसटी संख्या की प्रति।
- ईएमडी के ऑनलाइन भुगतान से जेनरेट की गई यूटीआर नं. की स्कैन की गई प्रति।
- ईएमडी की छूट संबंधी प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।

ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया या सीपीपी पोर्टल ([eprocure.gov.in](http://eprocure.gov.in)) से संबंधित किसी जानकारी के लिए, बोलीदाता टेलीफोन नं. :1800-3070-2232, +91 8826246593 टेली: 24x7 हैल्प डेस्क नं. 0120-4200462, 0120-4001002 पर सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क से तथा कंपनी सचिव से टेली: 011-23322107 पर संपर्क कर सकता है।

## 7. बोली सुरक्षा / बयाना राशि

(ए). सभी बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रत्येक स्थान में आवेदित की जा रही प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए अनुलग्नक 'ए' के "ईएमडी" कॉलम के अधीन उल्लिखित बयाना राशि जमा करें। (निम्नलिखित विधि द्वारा, नीचे (ई) में दर्शाए छूट को छोड़कर)।

i. बैंक विवरण के अनुसार केवल एनईएफटी / आरटीजीएस

खाताधारक का नाम : सैन्ट्रल कॉर्टेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ़ इण्डिया लि.

खाता संख्या : 10185775245

आईएफएससी कोड : SBIN0001699

बैंक का नाम : भारतीय स्टेट बैंक

शाखा : जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली

ii. किसी भी वाणिज्यिक बैंक से बीमा जमानत बांड, अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) के रूप में।

iii. जिन बोलियों के लिए ईएमडी निर्धारित तरीके से प्राप्त नहीं होगी, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

(बी). सीसीआईसी किसी भी कारण से ईएमडी की प्राप्ति न होने / डिलीवरी न होने / बिलम्ब से प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(सी). जो बोलीदाता एक या अधिक स्थानों में कई उत्पाद श्रेणियों के लिए प्रस्ताव देना चाहते हैं वे प्रत्येक उत्पाद श्रेणी और प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग बोली प्रस्तुत करेंगे।

(डी). ईएमडी पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होगा और निविदा को अंतिम रूप देने के बाद असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की ईएमडी को सुरक्षा जमा में समायोजित किया जाएगा। हालाँकि, यदि सफल बोलीदाता अपना नाम वापस ले लेता है या निविदा चयन के दौरान बोली दस्तावेजों में दिए गए विवरण गलत या गलत पाए जाते हैं तो पूरी ईएमडी जब्त की जा सकती है।



(ई). यदि बोलीदाता जिला उद्योग केंद्रों या खादी और ग्रामोद्योग आयोग या खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड या कॉपर बोर्ड या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय के साथ पंजीकृत एक सूक्ष्म या लघु उद्यम है, तो उन्हें वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी (अर्थात् प्रमाण पत्र बोली की देय तिथि के अनुसार मान्य होना चाहिए)। यदि एमएसई बोलीदाता उचित दस्तावेज या किसी भी सबूत को उपलब्ध नहीं कराता है तब ईएमडी की छूट प्रदान नहीं की जाएगी और ईएमडी के बिना, इसके परिणामस्वरूप बोली अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हो सकती है।

इसी प्रकार, स्टार्टअप बोलीदाताओं को बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट दी गई है। "स्टार्टअप" की परिभाषा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की 17 फरवरी, 2016 की राजपत्र अधिसूचना और उसके बाद के सभी अन्य निर्देशों/दिशानिर्देशों/संशोधनों के अनुसार है। स्टार्टअप उद्यम भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी स्टार्टअप इंडिया मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्टार्टअप के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट <http://startupindia.gov.in> को देखा जा सकता है।

(एफ). दिशानिर्देशों के अनुसार स्टार्ट अप / एमएसएमई को लाभ / छूट दी जाएगी।

## 8. सुरक्षा जमा

45 दिनों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य 100/- ₹. प्रति वर्ग फुट प्रति माह के बराबर ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा निम्नलिखित तरीकों से जमा किया जाएगा जैसा कि नीचे बताया गया है और रियायती करार की समाप्ति और सीसीआईसी की संतुष्टि पर परिसर को खाली करने पर, पार्टी से किसी भी बकाया राशि की वसूली या समायोजन करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।:-

i. बैंक विवरण के अनुसार एनईएफटी/आरटीजीएस

खाताधारक का नाम : सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.  
खाता संख्या : 10185775245  
आईएफएससी कोड : SBIN0001639  
बैंक का नाम : भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा : जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली

ii. किसी भी वाणिज्यिक बैंक से बीमा जमानत बांड, अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) के रूप में।

## 9. बोली विवरण

बोलीदाताओं को अपना प्रस्ताव पूर्ण रूप से निर्धारित तकनीकी प्रस्ताव (अनुलग्नक-बी) और वित्तीय प्रस्ताव (अनुलग्नक-सी) में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10. बोलीदाताओं का अनुलग्नक-डी में उल्लिखित सामान्य निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

11. व्यवस्था के नियमों और शर्तों को कवर करने के करार के विस्तृत मसौदा का उल्लेख अनुबंध - ई में किया गया है।

**नोट: सीसीआईसी के पास प्राप्त किसी या सभी निविदाओं/बोली को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।**



अनुलग्नक-ए

**नई दिल्ली में सीसीआईसी के शोरूम में तीन साल की अवधि के लिए जमा की गई बयाना राशि का विवरण**

**1. जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली**

(रू. लाख में)

1 क्रम	2 उत्पाद	3 क्षेत्र (वर्ग फुट)*	4 जमा बयाना राशि @2% (रू.)**	5 टर्नओवर (रू. लाख में)		
				विगत वि.व र्ष.	विगत 2 वि.वर्ष.	विगत 3 वि.वर्ष.
1.	चमड़े के उत्पाद	320	80,000	20	35	50
2.	ब्राइडल वियर कलेक्शन	522	2,80,000	80	120	160
3.	पुस्तक एवं सीडी	148	80,000	30	50	70
4.	हर्बल कॉस्मेटिक्स	36	40,000	15	25	40
5.	जूतियाँ (परंपरागत फुटवियर)	48	40,000	12	20	26
6.	रूद्राक्ष की मालाएँ	49	60,000	50	80	130
7.	मेंहंदी एवं चूड़ी तथा टैटू एवं बिंदी	40	40,000	10	15	20
8.	सिल्वर की वस्तुएँ एवं सिल्वर के सिक्के (वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी एवं फिलीगिरी को छोड़कर)	70	2,00,000	80	120	160
9.	क्रिस्टल का सामान / कलाकृतियाँ	387	40,000	15	25	40
10.	ऑर्गेनिक उत्पाद	320	40,000	15	25	40
11.	उपहार के चॉकलेट / ड्राई फ्रूट	45	40,000	15	25	40
12.	पुरुषों के वेडिंग कलेक्शन / सूटिंग (केवल हैंडलूम/लेनिन में)	522	40,000	50	80	130
13.	लेडीज सलवार कुर्ता दुपट्टा (एसकेडी) और लेडीज कुर्ती	316	40,000	40	70	100
14.	डिजाइनर हैंड बैग	316	40,000	20	35	50
15.	डिजाइनर स्टूडियो	506	40,000	50	80	130
16.	चाय/काँफी	49	40,000	15	25	40
17.	पेपियर मेशी	156	40,000	20	35	50
18.	पीतल की दस्तकारी	270	40,000	50	80	130
19.	खादी के उत्पाद	320	40,000	50	80	130
20.	केन/बैम्बू	387	40,000	15	25	40
21.	उपहार सज्जा	347.21	40,000	30	50	70
22.	हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं की कोई अन्य श्रेणी, सिवाय उन वस्तुओं को छोड़कर जिनमें सीसीआईसी काम करती है।	150	40,000			





## 2. शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली

1 क्रम	2 उत्पाद	3 क्षेत्र (वर्ग फुट)*	4 जमा बयाना राशि @2% (रू.)**	5 टर्नओवर (रू. लाख में)		
				विगत वि.वर्ष.	Last 2 F.Y.	Last 3 F.Y.
1.	विशुद्ध सोना और प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन के आभूषण	129.5	60,000	30	50	80
2.	मेंहंदी एवं चूड़ी तथा टैटू एवं बिंदी	52	40,000	10	15	20
3.	लेडीज सलवार कुर्ता दुपट्टा (एसकेडी) और लेडीज कुर्ती	77	40,000	20	30	50

\* दर्शाया गया क्षेत्र अनुमानित है और अनुबंध देते समय आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकता है।

\*\* सीसीआईसी के पास प्राप्त किसी या सभी निविदाओं/बोलियों को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार में नामांकित कारीगरों के लिए जूती (पारंपरिक फुटवियर), प्रीसियस / सेमी प्रीसियस स्टोन जड़े हुए संगमरमर उत्पादों और प्रीसियस / सेमी प्रीसियस स्टोन जड़े हुए लकड़ी के हस्तशिल्प श्रेणियों के लिए बोलीदाताओं के लिए टर्नओवर मानदंड को माफ किया जा सकता है और उनके पास डीसी (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा जारी कारीगर फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।

**नोट:** यदि ऊपर उल्लिखित किसी भी दिन छुट्टी घोषित हो जाती है तो उक्त कार्यक्रम अगले कार्य दिवस पर उसी समय और स्थान पर आयोजित किया जाएगा।



अनुलग्नक-बी

**तकनीकी बोली**

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001

**सीसीआईसी के नई दिल्ली शोरूम में रियायती व्यवस्था के लिए संचालन।**

- उत्पाद(दों) का नाम : \_\_\_\_\_
- प्रस्ताव के लिए शोरूम का नाम : \_\_\_\_\_

क्रमांक	विवरण	
1.	फर्म का नाम (व्यक्तिगत/साझेदारी/कंपनी/एनजीओ/सहकारी समिति, प्रमाण के रूप में समर्थित दस्तावेजों सहित)	
2.	पता	
3.	मालिक/सदस्यों/निदेशकों/साझेदारों के नाम	
4.	प्राधिकृत प्रतिनिधि / व्यक्ति	
5.	टेलीफोन नंबर	कार्यालय : _____ दुकान : _____ निवास : _____ मोबाइल नं. : _____ फैक्स नं. : _____ ई-मेल : _____
6.	प्रस्ताव में दर्शाए गए उत्पादों में काम करने के वर्षों की संख्या। (कृपया प्रमाण-पत्र या लाभ-हानि खाता और तुलन-पत्र के स्व-प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें)	
7.	विगत तीन वर्षों की बिक्री (रू. लाखों में) (कृपया सनदी लेखाकार से प्रमाणित वार्षिक रिपोर्ट, लाभ-हानि खाता और तुलन-पत्र जैसे दस्तावेज संलग्न करें)। बिक्री आवेदित उत्पाद श्रेणी की ही होनी चाहिए और सीए का सर्टिफिकेट संलग्न किया जाए यदि लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र या आईटीआर से पहचान योग्य न हो।	2021-22 ..... 2022-23 ..... 2023-24 .....



8.	वर्तमान में चालू व्यवसाय/दुकानों/शोरूमों का विवरण एवं पता ।	
9.	पैन (प्रति संलग्न)	
10.	जीएसटी सं.	
11.	भविष्य निधि सं.( प्रति संलग्न)	
12.	ईएसआई नं. (प्रति संलग्न)	
13.	क.	क्या एमएसएमई है (हाँ/नहीं) (attach proof)
	ख.	यदि एमएसएमई है तो क्या अजा/अजजा श्रेणी है? (प्रमाण संलग्न करें)
	ग.	क्या स्टार्ट-अप है (प्रमाण संलग्न करें)
14.	तारीख	(हस्ताक्षर एवं मुहर)

सभी संलग्न दस्तावेज स्व-प्रमाणित हों ।

### **बोलीकर्ताओं द्वारा वचन:**

मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि:

1. मैं/हम वेबसाइट: <https://www.thecottageemporium.in> और <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. पर उपलब्ध ऑनलाइन दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर रियायती व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए यह ऑनलाइन बोली जमा कर रहे हैं।
2. तकनीकी बोली में कोई वित्तीय संकेत नहीं दिया गया है।
3. सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से "सीसीआईसी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली" को देय निविदा में उल्लिखित बैंक विवरणों के अनुसार किए जाएंगे।
4. मैं/हम यह भी जानता/ते हूँ/हैं कि इस बोली में कुछ भी परिवर्तन करना/जोड़ना/गलती करना अमान्य हो सकता है और सीसीआईसी किसी स्पष्टीकरण की नहीं मांग करेगा।
5. मैं/हम यह भी जानता/ते हूँ/हैं कि इस प्रस्ताव के विषय में या से संबंधित तथा मेरे/हमारे और सीसीआईसी के बीच अनुबंध, यदि कोई हो, से संबंधित तथा/या उससे संबंधित तथा/या उपर्युक्त उल्लिखित रियायती व्यवस्था से संबंधित पैदा हुए सभी विवाद और/या मतभेद, नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार में होगा।
6. मैं/हम इसकी पुष्टि करते हैं कि, इस तकनीकी बोली फॉर्म में निर्दिष्ट सभी नियम और शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य हैं और ये रियायती समझौते का हिस्सा बनेंगे।
7. मैंने/हमने तकनीकी बोली के सभी पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं और उसमें वर्णित नियमों और शर्तों की/को पुष्टि करते हैं/स्वीकार करते हैं।



8. सुरक्षा जमा/ईएमडी/अन्य भेजी गई राशियों/बिक्री प्राप्तियों के भुगतान को वापस करने के लिए बोलीदाता द्वारा भरे जाने वाली सूचना: -
- हितग्राही का नाम :
- बैंक का नाम :
- शाखा का नाम व पता :
- खाता प्रकार (बचत/चालू इत्यादि) :
- खाता सं. :
- पैन :
- आईएफएससी कोड :

#### डिस्क्लेमर

- उपर्युक्त खाते का रद्द चेक और पैन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि बिंदु संख्या 8 में ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं, यदि गलत जानकारी के अधूरे होने के कारण लेनदेन में देरी होती है या बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है, तो मैं सीसीआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जिम्मेदार नहीं मानूँगा।
- मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मैं भविष्य में अपने बैंक खाते के विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में सीसीआईसी को सूचित करूँगा, अन्यथा मेरे द्वारा सीसीआईसी को विवरण के रूप में भुगतान किया जाना जारी रहेगा, जिसके लिए सीसीआईसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।—
- मुझे सूचित किया गया है कि सीसीआईसी के पास प्राप्त किसी या सभी निविदाओं/बोलियों को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत विवरण जानकारी के अनुसार सही है।

मैं/हम आगे इस बात की पुष्टि करते हैं कि सभी आवश्यक विवरण उपयुक्त रिक्त स्थानों में दे दिए गए हैं और यदि यह निविदा फार्म मेरी/हमारी ओर से किसी भी तरह से अधूरा है तो इसे पूरी तरह से अस्वीकार किया जा सकता है।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर : \_\_\_\_\_

स्पष्ट अक्षरों में नाम : \_\_\_\_\_

तारीख : \_\_\_\_\_



अनुलग्नक - सी

“वित्तीय प्रस्ताव”

से: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

तारीख:

कंपनी सचिव,  
सीसीआईसी ऑफ इण्डिया लि.  
जवाहर व्यापार भवन, जनपथ,  
**नई दिल्ली-110001**

सीसीआईसी के नई दिल्ली शोरूम में रियायती व्यवस्था में प्रवेश के लिए वित्तीय प्रस्ताव।

हमने पूरी तरह से टेंडर की शर्तों को पढ़ा है, सभी संबंधित दस्तावेजों को पढ़ा है, सभी पूछताछ की है, अपनी सभी शंकाओं को दूर किया है, सभी नियमों और शर्तों से सहमत होने के बाद, अपनी पात्रता प्रमाणित करने के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज जमा कर रहे हैं, निम्न अनुसार प्रस्ताव देते हैं:

सीसीआईसी के शोरूम में रियायती व्यवस्था के लिए संचालन।

1. उत्पाद का नाम : \_\_\_\_\_

2. प्रस्ताव के लिए शोरूम का नाम: \_\_\_\_\_

क्रमांक	विवरण	
1.	फर्म का नाम (व्यक्तिगत/साझेदारी/कंपनी/एनजीओ/सहकारी समिति, प्रमाण के रूप में समर्थित दस्तावेजों सहित)	
2.	पता  पिन कोड	



3.	प्राधिकृत प्रतिनिधि / व्यक्ति	
4.	सीसीआईसी एम्पोरियम में वास्तविक बिक्री पर प्रस्तावित प्रतिशतता	
<b>नोट :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>सीसीआईसी के विभिन्न स्थानों पर अन्य दुकानों सहित नई दिल्ली शाखा के लिए - न्यूनतम आरक्षित मूल्य रु. 500/- प्रति वर्ग फुट प्रति माह होगा और जीएसटी को छोड़कर सकल बिक्री पर प्रतिशत राजस्व पार्टी द्वारा प्रस्तावित उच्चतम प्रतिशत पर आधारित होगा।</li><li>जीएसटी को छोड़कर सकल बिक्री पर न्यूनतम प्रतिशत 10% या अधिक होना चाहिए। सकल बिक्री का मतलब जीएसटी को छोड़कर छूट से पहले की सकल बिक्री है। यह बात दिल्ली के साथ-साथ दुकानों समेत अन्य शाखाओं पर भी लागू होती है।</li><li>उच्चतम प्रतिशत तीन साल के लिए वैध होगा और यदि पार्टी सहमति वापस ले लेती है तो अन्य पार्टियां एच1 प्रतिशत पर रिक्त स्थान का उपयोग कर सकती हैं।</li><li>बिक्री मिलान मासिक आधार पर किया जाएगा और सभी उत्पाद सीसीआईसी के ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे।</li><li>अन्य सभी नियम और शर्तें रियायतग्राही समझौते के अनुसार होंगी।</li><li>समझौते पर हस्ताक्षर करने पर, सफल बोलीदाता प्रति माह न्यूनतम आरक्षित मूल्य के बराबर मूल्य के 6 पोस्ट-डेटेड चेक जमा करेगा।</li></ol>		
	तारीख	(हस्ताक्षर एवं मुहर)



## बोलीकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश

अनुलग्नक - 'डी'

1. **निविदा बोलियों के अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय:** निविदा बोलियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि **07/11/2024** को अपराह्न 3:00 बजे तक है। इस समय के बाद, कोई भी बोली अपलोड नहीं की जा सकती है।
2. निविदा बोलियों के ऑनलाइन खोलने की तिथि: निविदाएं अगले दिन अर्थात् निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि को 4:00 बजे खोली जाएंगी। सभी बोलीकर्ताओं को बिड डाटा शीट में वर्णित पते के अनुसार संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
3. बोलियाँ ऑनलाइन दो भागों 'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: ऑनलाइन से प्रस्तुत की जाने वाली बोली बोलीकर्ता को अनुबंध पर रखने के लिए विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जाएगी।
5. बोलीकर्ता या बोलीकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा इस तरह से हस्ताक्षर कर बोली को भेजा जा सकता है। प्रतिनिधि को बोलीकर्ता द्वारा ऑफ़लाइन दस्तावेज़ के रूप में या सीसीआईसी द्वारा मांगे जाने पर विधिवत निष्पादित किए गए प्राधिकृत पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रस्ताव को सीसीआईसी के निर्णय के अनुसार किसी भी समय बातिल और शून्य माना जा सकता है। यह पीओए समय-समय पर आवश्यकतानुसार इस बोली से संबंधित सभी कार्यों के लिए प्रतिनिधि को अधिकार प्रदान करेगा। इस बोली के संबंध में प्रतिनिधि द्वारा सभी कार्य उस संगठन के लिए बाध्यकारी होंगे जिनके लिए बोली प्रस्तुत की गई है।
6. तकनीकी बोली उक्त अनुसार प्रस्तुत करने की तिथि पर शाम 4:00 बजे खुली घोषित की जाएगी। भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी निविदाओं के खोलने के समय को नोट करें।
7. बोलीदाता अपने दस्तावेजों की तैयारी और वितरण से जुड़े सभी खर्चों को वहन करेगा, जिसमें साइट पर जाने से संबंधित लागत और खर्च भी शामिल हैं। सीसीआईसी किसी भी स्थिति में बोली प्रक्रिया के परिणाम की परवाह किए बिना इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

### 8. चेतावनी

यह याद रखना चाहिए कि यह एक ई-टेंडर है और किसी भी निविदा दस्तावेज जैसे बोली, इत्यादि यदि भौतिक रूप से "ऑफ़लाइन दस्तावेज़ बॉक्स" में जमा किया जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ई-टेंडर होने पर ही बोली पर विचार किया जाएगा।

9. बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को सभी पृष्ठों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना अनिवार्य है तथा टेंडर की शर्तों एवं नियमों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप तकनीकी एवं वित्तीय बोली को प्रस्तुत करेगा।
10. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली, बोलीदाता एवं सीसीआईसी द्वारा आदान-प्रदान किए गए बोली से संबंधित समस्त पत्राचार एवं दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे। बोलीदाता द्वारा जमा किया गया प्रिंटेड साहित्य/प्रमाणपत्र/कोई अन्य दस्तावेज दूसरी भाषा में हो सकते हैं बशर्ते कि उनके साथ अंग्रेजी भाषा में संगत परिच्छेद लगा हो। ऐसे मामले में बोली की व्याख्या के लिए अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा किसी दस्तावेज/प्रमाणपत्र के अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत करने की दशा में, उनका अंग्रेजी अनुवाद बोलीदाता के देश के वाणिज्यिक चैम्बर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित कर बोलीदाता द्वारा सीसीआईसी की मांग किए जाने पर जमा किया जाएगा।
11. क्या एमएसएमई/एससी/एसटी श्रेणी है (प्रमाण संलग्न करें)



12. प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ओएम संख्या एफ20-2/2014-बीपीडी (पीटी) दिनांक 27/07/2017 के द्वारा टर्नओवर और अनुभव मानदंड में स्टार्ट-अप के लिए छूट उपलब्ध है।
13. प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 20/2/2014-पीपीडी (पं.) दिनांक 25 जुलाई 2016 तथा एमएसएमई के पॉलिसी परिपत्र सं.1(2)(1)/2016-एमए दिनांक 10 मार्च, 2016 के द्वारा टर्नओवर और अनुभव मानदंड में छूट उपलब्ध है।
14. सरकार द्वारा समय-समय पर अपने परिपत्र / अधिसूचना के माध्यम से प्रदान किए गए सभी लाभ/छूट/रियायत एमएसएमई पर निविदा के लिए आवेदन करते समय और पार्टी के चयन के समय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन लागू होंगे।
15. वास्तविक बिक्री पर दिया जाने वाला प्रतिशत केवल वित्तीय बोली में उद्धृत किया जाएगा, तकनीकी बोली में नहीं, अन्यथा बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
16. टेंडर की शर्तों पर सीसीआईसी द्वारा की गई व्याख्या एवं निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
17. टेंडर की सभी शर्तें एवं समाचार पत्र में विज्ञापन करार का एक भाग होगा।
18. सीसीआईसी जाँच के लिए आवश्यक होने पर किसी से कोई स्पष्टीकरण / कागजात मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सीसीआईसी जाँच के लिए या बोली पर निर्णय करने के लिए संबद्ध बैंकों एवं अन्य एजेंसियों से कोई भी स्पष्टीकरण या दस्तावेज या प्रमाणपत्र लेने के लिए स्वतंत्र है।
19. सीसीआईसी के पास बिना कोई कारण बताए बोली प्रक्रिया को रद्द करने या प्राप्त किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

20. **प्रक्रिया**

- ए. तकनीकी बोलियों को बोलियाँ जमा करने के अंतिम दिन के अगले दिन अपराह्न 4.00 बजे खोला जाएगा।
- बी. बोलियों को खोलने के लिए सीसीआईसी के अधिकारियों की एक गठित समिति बनाई जाएगी।
- सी. तकनीकी बोली खोलने के दिन वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।
- डी. तकनीकी बोलियों को खोलने की घोषणा के बाद, सीसीआईसी की गठित समिति द्वारा बोलीदाताओं की तकनीकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।
- ई. बोलीदाताओं की योग्यता / अयोग्यता के बारे में निर्णय सीसीआईसी के पास होगा और बोलीदाताओं पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- एफ. इसके बाद, वित्तीय बोली खोलने की तिथि केवल योग्य बोलीदाताओं को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित की जाएगी। इसे <http://www.the.cottage.in/service/Tender> वेबसाइट पर पोस्टिंग के द्वारा भी सूचित किया जाएगा। बोलीदाताओं को नियमित रूप से पूर्वोक्त वेबसाइट को देखने की सलाह दी जाती है।
- जी. वित्तीय निविदाएं सीसीआईसी के अधिकारियों की गठित समिति द्वारा तथा ई-टेंडर में निर्धारित तंत्र के अनुसार और खोली जाएंगी।
- एच. यह स्पष्ट किया जाता है कि उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी / मान्य नहीं होगी जिन्होंने तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त नहीं की हो।
- आई. बोलियों में वित्तीय बोली के आधार पर, बोलियों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा।
- जे. एच -1 पार्टी को कंसेशनियर कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए विचारणीय माना जाएगा।
- के. छूट बिलिंग तिथि पर लागू दरों के अनुसार जीएसटी की शर्त पर होगी।





## 21. बोली सुरक्षा/ईएमडी

- ए. यदि बोलीदाता जिला उद्योग केंद्रों या खादी और ग्रामोद्योग आयोग या खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड या कॉयर बोर्ड या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय या सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय में पंजीकृत एक सूक्ष्म या लघु उद्यम है, तब उन्हें वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी (अर्थात प्रमाणपत्र बोली तिथि के अनुसार वैध होना चाहिए)। यदि एमएसई बोलीदाता उपर्युक्त को प्रमाणित करने के लिए उचित दस्तावेज़ या कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है तो ईएमडी छूट प्रदान नहीं की जाएगी और ईएमडी के बिना बोली अस्वीकृत हो सकती है।
- ख. चयन प्रक्रिया के अंत में सभी असफल बोलीदाता(ओं) को ईएमडी लौटा दी जाएगी। तथापि, सफल बोलीदाता के वापस लेने या टेंडर प्रक्रिया के दौरान निविदा दस्तावेजों में दिए गए विवरण गलत होने या गलत पाए जाने के मामले में पूरी ईएमडी को जब्त किया जा सकता है।

## 22. स्टाम्प ड्यूटी

लाइसेंस करार के निष्पादन के लिए लागू स्टाम्प शुल्क सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

## 23. ई-टेंडरिंग के लिए प्री-बिड मीटिंग और सहायता

**28/10/2024** को (यदि सीसीआईसी में इस दिन छुट्टी होती है तो अगले कार्य दिवस को) 3.00 बजे अपराह्न जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001 स्थित सीसीआईसी के बोर्ड रूम में एक प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी। पार्टियां पुष्टि के लिए **28/10/2024** को या इससे पहले cscic76@gmail.com पर अपना ई-मेल भेजकर वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक में भाग ले सकती हैं। लिंक केवल उन्हीं पक्षों को भेजा जाएगा जिन्होंने ई-मेल के माध्यम से पुष्टिकरण भेजा है। किसी भी भावी बोलीदाता द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर सीसीआईसी द्वारा प्री-बिड मीटिंग में दिया जाएगा। सभी को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

## 24. बोलियों की वैधता

1. बोलीदाता का प्रस्ताव टेंडर बंद होने की तारीख से न्यूनतम 120 दिनों की अवधि तक वैध होगा। यदि सीसीआईसी चाहे तो टेंडर के मूल्यांकन/निपटारे के दौरान बोलीदाता को प्रस्ताव की वैधता को अगले 60 दिनों तक बढ़ाने के लिए कह सकता है जो बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।
2. सीसीआईसी बोली के खुलने/स्वीकार होने के बाद कीमत सहित किन्हीं भी शर्तों को जोड़ने/संशोधन करने को स्वीकार नहीं करेगा।

## 25. निरीक्षण खण्ड

1. सीसीआईसी वर्तमान की उन सुविधाओं/सुविधाओं को जाँचने का अधिकार सुरक्षित रखता है जहाँ से बोलीदाता(ओं) द्वारा वैसे ही उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है ताकि टेंडर मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान उनके आधारभूत ढाँचे, गुणवत्ता एवं क्षमता का निर्धारण किया जा सके।
2. सीसीआईसी अनुबंध अवधि के दौरान बेचे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने की पुष्टि करने के लिए चयनित कनशेसनियर की सुविधा को जाँचने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



## 26. मूल्यांकन मापदंड

### 1. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के लिए मूल्यांकन मापदंड

मुख्य निविदा में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुपालन के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा। सीसीआईसी बोलियों के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए, जो भी वह आवश्यक समझे, बोली लगाने वाले से अपने विवेक से कुछ भी जानकारी, दस्तावेज इत्यादि मांगने के अधिकार को सुरक्षित रखता है।

### 2. मूल्य बोली के लिए मूल्यांकन मानदंड

केवल उन्हीं बोलीदाताओं की मूल्य बोलियाँ, जो उनके तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों के मूल्यांकन में योग्य हैं, खोली जाएंगी। मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय उन बोलीदाताओं को अग्रिम में सूचित की जाएगी जिन्होंने तकनीकी-वाणिज्यिक बोली मूल्यांकन की योग्यता प्राप्त कर ली है और केवल उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को मूल्य बोली खोलने में भाग लेने की अनुमति होगी।

### 3. मूल्य बोलियों का मूल्यांकन एवं रियायती का चयन

- उच्चतम कमीशन / छूट / लाइसेंस शुल्क का प्रस्ताव करने वाले रियायतकर्ता को एच1 माना जाएगा और उसे रियायत व्यवस्था अनुबंध प्रदान करने योग्य माना जाएगा, यद्यपि, उच्चतम कमीशन / छूट / लाइसेंस शुल्क का प्रस्ताव करने से ही रियायतकर्ता को अनुबंध लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। सीसीआईसी वित्तीय बोली खोलने के बाद भी किसी भी स्तर पर बोली को अस्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।
- टेंडर खुलने के बाद सीसीआईसी किसी भी अतिरिक्त लागत को शामिल करना स्वीकार नहीं करेगा।
- अधूरी या गलत जानकारी प्रस्तुत करना या आंकड़ों के संकलन में अंकगणितीय त्रुटियों का होना बोली लगाने वाले के अपने जोखिम पर होगा, और ऐसे मामलों में सीसीआईसी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

## 27. कार्य घंटे

कार्य दिवसों का अनुपालन सीसीआईसी के अनुसार होगा और छुट्टियों का अनुपालन सीसीआईसी द्वारा दिल्ली में अपने कार्यालय के अनुसार होगा।

## 28. साइनेज का प्रदर्शन

रियायतकर्ता के नाम के प्रदर्शन के लिए जगह को सीसीआईसी द्वारा इंगित किया जाएगा। इसके अलावा, सीसीआईसी द्वारा किए गए उल्लेख को छोड़कर, शोरूम के किसी भी हिस्से का उपयोग किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, विज्ञापन, साइनेज, पोस्टर, इशतहार आदि के लिए नहीं किया जाएगा।

## 29. सुरक्षा जमा

डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में 45 दिनों के न्यूनतम आरक्षित मूल्य 100/- ₹. प्रति वर्ग फुट प्रति माह के बराबर करार के निष्पादन के समय रियायतकर्ता से लिया जाएगा। पूरी सुरक्षा जमा राशि को अनुबंध की समाप्ति और सीसीआईसी की संतुष्टि पर, रियायती से किसी भी वसूली या समायोजन करने के बाद, रियायती को आवंटित क्षेत्र के खाली करने पर वापस किया जाएगा।



अनुलग्नक - 'ई'

**लाइसेंस करार**

यह करार इस \_\_\_ माह \_\_\_\_, दो हजार चौबीस के बीच किया गया है

सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत कंपनी (भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय का उपक्रम, जिसका पंजीकृत कार्यालय जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली में है (इसके बाद इसे "सीसीआईसी" कहा जाएगा), \_\_\_\_\_ द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसमें जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसमें उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति या एक भाग के सीसीआईसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत कोई अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

और

\_\_\_\_\_ कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय \_\_\_\_\_ (इसके बाद "पार्टी" के रूप में संदर्भित) पर है, जिसका प्रतिनिधित्व \_\_\_\_\_ श्री \_\_\_\_\_ करते हैं, जिसमें जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसमें दूसरे भाग के उनके उत्तराधिकारी, नियुक्त, कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।

जबकि सीसीआईसी सभी प्रकार के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री, प्रदर्शन, विपणन, प्रदर्शनी और प्रचार के उद्देश्य से सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम के नाम से शोरूम चलाता है। सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन विभिन्न शिल्प और कारीगरों को समर्थन और बनाए रखने में सहायक रहा है। यह देश भर में "कॉटेज" ब्रांड नाम के तहत संचालित होता है और इसके खुदरा आउटलेट हस्तनिर्मित वस्तुओं, वस्त्रों, आभूषणों और बहुत कुछ की विविध रेंज की पेशकश के लिए जाने जाते हैं।

और जबकि सीसीआईसी ने निविदा दिनांक \_\_\_\_\_ के माध्यम से तत्काल बिक्री के आधार पर अपने शोरूम में सीसीआईसी द्वारा हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद की विभिन्न वस्तुओं की खुदरा बिक्री के संचालन में भागीदारी के लिए इच्छुक व्यक्तियों/कंपनियों/डीलरों से निविदाएं आमंत्रित कीं; और

जबकि उक्त निविदा सूचना के अनुसरण में "पार्टी" ने " \_\_\_\_\_ " आइटम (अधिक विशेष रूप से अनुसूची-1 में उल्लिखित) के संबंध में अपनी बोलियां [तकनीकी और वित्तीय बोलियां] पेश कीं और जबकि पार्टी की बोलियों की जांच करने के बाद, सीसीआईसी ने उक्त शोरूम में उपलब्ध कराए गए स्थान पर उक्त वस्तुओं की खुदरा बिक्री के संचालन में भागीदारी के लिए पार्टी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

अब यह करार निम्न रूप में गवाह है:

**1. कार्यकाल और संबंध**

- 1.1. यह करार दिनांक \_\_\_\_\_ से शुरू होने और दिनांक \_\_\_\_\_ पर समाप्त होने वाली 3 साल की अवधि के लिए वैध है, इस शर्त के अधीन कि इसे इस करार में निहित शर्तों के अनुसार रद्द या निर्धारित किया जा सकता है।
- 1.2. इस करार को ऐसे नियमों और शर्तों पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर 2 साल की अवधि के लिए बढ़ाया/नवीनीकृत किया जा सकता है।



- 1.3. शोरूम में \_\_ लेवल पर क्षेत्र का विशिष्ट निर्धारित स्थान लगभग \_\_ वर्ग फुट होगा जिसे व्यवसाय की आवश्यकता और सीसीआईसी की नीति को ध्यान में रखते हुए शोरूम में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
- 1.4. इस व्यवस्था के लिए लॉक-इन अवधि छह महीने के लिए होगी, यदि पार्टी लॉक-इन अवधि से पहले सीसीआईसी एम्पोरियम में आवंटित क्षेत्र को खाली कर देती है, तो वापसी योग्य सुरक्षा राशि सीसीआईसी द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

## 2. लाइसेंस शुल्क

- 2.1 यह कि पार्टी प्रति माह 500/- रुपये प्रति वर्ग फुट (न्यूनतम आरक्षित मूल्य) और जीएसटी को छोड़कर सकल बिक्री पर \_\_% राजस्व का भुगतान करने के लिए सहमत है (सकल बिक्री का मतलब जीएसटी को छोड़कर छूट से पहले की सकल बिक्री है)। यह सकल बिक्री पर रु. \_\_\_\_ प्रति माह प्लस \_\_% राजस्व बनता है।
- 2.2 न्यूनतम आरक्षित मूल्य तीन साल के लिए वैध होगा, उसके बाद अगले दो वर्षों के लिए इसमें हर साल 5% की बढ़ोतरी की जाएगी।
- 2.3 पार्टी मासिक आधार पर संबंधित महीने के पांच दिनों के भीतर केवल निम्नलिखित बैंक विवरण के अनुसार आरटीजीएस/एनईएफटी मोड के माध्यम से.....रुपये का भुगतान करेगी।

खाताधारक का नाम: सैन्ट्रल कौंटेज इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
खाता संख्या : 10185775245  
आईएफएससी कोड: SBIN0006199  
बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा: जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली।

पार्टी सीसीआईसी को 18% की दर से जीएसटी या समय-समय पर लागू कोई अन्य कर का भी भुगतान करेगी।

- 2.4. पार्टी को इस करार पर हस्ताक्षर करने पर 45 दिनों की न्यूनतम रिजर्व फीस के बराबर रु.\_\_\_\_\_-/- की वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी।
- 2.5. करार पर हस्ताक्षर करने पर, पार्टी प्रति माह न्यूनतम आरक्षित मूल्य के बराबर मूल्य के 6 पोस्ट-डेटेड चेक जमा करेगी।
- 2.6. लाइसेंस करार के निष्पादन के लिए लागू स्टॉप शुल्क पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा।
- 2.7. कि पार्टी यहां उल्लिखित व्यवसाय चलाने के लिए उत्पादों के प्रदर्शन और प्रदर्शन के उद्देश्य से आवंटित क्षेत्र को विशेष रूप से खुला रखेगी और अपने उत्पादों की श्रृंखला का पर्याप्त स्टॉक रखेगी। उत्पादों की सज्जा और प्रदर्शन पर, किसी भी ग्राहक द्वारा उत्पाद खरीदने की इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में, पार्टी उत्पादों का विवरण, बिक्री मूल्य और उस पर करों/करों की दरों के बारे में सीसीआईसी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित तरीके से सीसीआईसी को सूचित करेगी और उसके बाद:-

- 2.7.1 सीसीआईसी पार्टी से सीसीआईसी के कैश-मेमो पर खरीद के बाद सीसीआईसी के ग्राहक/उपभोक्ता को चयनित वस्तुओं और माल की बिक्री को पूरा करेगी और स्वयं बिक्री आय एकत्र करेगी और ग्राहक को डिलीवरी करेगी। समझौते के खंड 2 में उल्लिखित जीएसटी को छोड़कर सकल बिक्री का \_\_% काटने के



बाद सीसीआईसी को बिक्री चालान प्रस्तुत करने पर पार्टी को भुगतान प्रत्येक अगले महीने के 45 दिनों के भीतर किया जाएगा।

- 2.7.2 इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पार्टी किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों को सीधे कोई भी उत्पाद बेचने की हकदार नहीं होगी और ग्राहकों को सभी बिक्री केवल इस समझौते में प्रदान किए गए तरीके से की जाएगी।
- 2.7.3. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यदि सीसीआईसी ग्राहकों को सीसीआईसी द्वारा उत्पादों की बिक्री के परिणामस्वरूप माल और सेवा कर (जीएसटी) के अलावा किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो पार्टी सीसीआईसी को राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। इस संबंध में मांग किए जाने के 7 दिनों के भीतर सीसीआईसी द्वारा दिए गए कर का भुगतान सीसीआईसी को पार्टी द्वारा किया जाएगा। किसी भी स्थिति में सीसीआईसी समय-समय पर पार्टी को सीसीआईसी द्वारा देय किसी भी भुगतान से ऐसी सभी रकमों में कटौती करने का हकदार होगा।
- 2.7.4. यदि कोई भी पक्ष यह चाहता है कि ग्राहक को उत्पादों पर कोई छूट या योजना की पेशकश की जाए, तो उसे केवल दूसरे पक्ष के परामर्श और सहमति से ही पेश किया जाएगा।
- 2.7.5. पार्टी काउंटर्स पर उत्पादों की उचित गुणवत्ता और शुद्धता प्रदान करेगी और यदि उत्पाद के खिलाफ कोई शिकायत है तो पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि सीसीआईसी को बेची गई उक्त वस्तुएं वापस ले ली जाएं और कर सहित उसकी कीमत सीसीआईसी को वापस कर दी जाए।
- 2.7.6. पार्टी की ओर से अनुचित गुणवत्ता, शुद्धता या सेवाओं के कारण सीसीआईसी को होने वाली हानि/क्षति के मामले में, इस कारण तीसरे पक्ष के दायित्व सहित सभी हानि/क्षति की वसूली पार्टी से की जाएगी।

### 3. कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

- 3.1. पार्टी आंतरिक साज-सज्जा, फर्नीचर, फिक्सचर की व्यवस्था अपनी लागत पर करेगी, लेकिन उसका डिजाइन सीसीआईसी के परामर्श और अनुमोदन से किया जाएगा।
- 3.2. इंटीरियर, फर्नीचर, फिक्सचर आदि का संपूर्ण रखरखाव पार्टी की जिम्मेदारी होगी।
- 3.3. पार्टी द्वारा इस पर विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई है और स्वीकार किया गया है कि पार्टी को आवंटित \_\_\_\_\_ वर्ग फुट की उक्त जगह किसी भी तरह से उसके (पार्टी के) पक्ष में किसी भी प्रकृति का कोई अधिकार पैदा नहीं करेगी और पार्टियों के बीच अधिकार और दायित्व यहां इस समझौते द्वारा शासित किया जाएगा।
- 3.4. यह समझौता गैर-हस्तांतरणीय है और इस समझौते या उसके हिस्से के तहत लाभों को पार्टी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से आवंटित, हस्तांतरित या अन्यथा विभाजित नहीं किया जाएगा।
- 3.5. इस अनुबंध की अवधि की समाप्ति पर या इसमें निहित इसके शीघ्र समापन/निर्धारण पर, पार्टी शोरूम के आवंटित क्षेत्र से अपने सभी सामान/माल को हटाने का वचन देती है और उसके बाद पार्टी को किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए सीसीआईसी के शोरूम के उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 3.6. शोरूम में आवंटित क्षेत्र को पार्टी द्वारा सामान्य टूट-फूट के अधीन अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा। जब भी आवश्यक हो और सीसीआईसी द्वारा उचित समझा जाए, पार्टी द्वारा इस पर अपनी लागत और खर्च पर पेंट किया जाएगा और मरम्मत की जाएगी।
- 3.7. कि पार्टी सीसीआईसी की लिखित सहमति के बिना आवंटित क्षेत्र के बाहरी हिस्से पर कोई साइनबोर्ड या कोई अन्य लेखन सज्जा, चिपका या प्रदर्शित नहीं करेगी।



- 3.8 यह कि पार्टी आवंटित क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित स्थिति में रखेगी और सीसीआईसी की संतुष्टि से उपयोग के लिए तैयार रखेगी और सीसीआईसी के लिए यह वैध होगा कि वह अपनी संतुष्टि से इसमें प्रवेश करे और निरीक्षण करे कि समझौते की सभी शर्तों का अनुपालन हो रहा है।
- 3.9 कि पार्टी सीसीआईसी द्वारा खुदरा बिक्री संचालन में प्रदर्शन और भागीदारी के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित स्थान का उपयोग नहीं करेगी।
- 3.10 पार्टी इस बात से सहमत है और पुष्टि करती है कि इसमें शामिल उत्पाद/सेवाओं की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए, पार्टी प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करेगी।

#### 4. बीमा

- 4.1. यह कि पार्टी इस समझौते की अवधि के दौरान आवंटित क्षेत्र में अपने व्यवसाय के संबंध में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए कामगार मुआवजा अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी भी दावे के लिए बीमा करेगी। बीमा ऐसी बीमा कंपनी से लिया जाएगा जो सीसीआईसी द्वारा अनुमोदित है, जो समय-समय पर ऊपर उल्लिखित सभी पॉलिसियों और पार्टी द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की सभी रसीदों का निरीक्षण करने का हकदार होगा।
- 4.2. पार्टी चोरी, आग, दंगा, नागरिक हंगामे और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ इस समझौते के अधीन सामान और माल के बीमा की व्यवस्था करेगी और उसका प्रीमियम पार्टी द्वारा देय होगा। किसी भी घटना के मामले में, पार्टी द्वारा घोषित माल/स्टॉक के अनुसार दावा दायर किया जाएगा।
- 4.3. पार्टी विभिन्न कानूनों, जैसे ईएसआई, भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम आदि के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करेगी और पीएफ, ईपीएस और ईएसआई के भुगतान का मासिक प्रमाण प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा, यदि सीसीआईसी को पार्टी की ओर से उक्त कानून के प्रावधानों को पूरा न करने के कारण किसी भी राशि का भुगतान करना पड़ता है, तो सीसीआईसी बिक्री आय से/के माध्यम से पार्टी से ऐसी राशि वसूल करने का हकदार होगा।

#### 5. क्षतिपूर्ति

- 5.1. पार्टी किसी भी कानून, विनियम, उपनियम और दंड, जुर्माना, कर आदि के किसी भी उल्लंघन के लिए सीसीआईसी को क्षतिपूर्ति देने का वचन देगी और क्षतिपूर्ति करती रहेगी, जो शोरूम के निर्धारित क्षेत्र पर माल और माल के प्रदर्शन के दौरान किसी सक्षम प्राधिकारी या तीसरे पक्ष द्वारा, जैसा भी मामला हो, सीसीआईसी पर लगाया जाएगा।
- 5.2. कि पार्टी आवंटित क्षेत्र में कोई सार्वजनिक नीलामी आयोजित नहीं करेगी या करने की अनुमति नहीं देगी।
- 5.3. पार्टी सीसीआईसी के ग्राहकों के लिए निर्धारित क्षेत्र को समय-समय पर लागू श्रम नियमों के अधीन सीसीआईसी द्वारा निर्धारित घंटों के लिए खुला रखेगी। पार्टी सीसीआईसी द्वारा मनायी जाने वाली वार्षिक छुट्टियों का भी पालन करेगी।
- 5.4. कि पार्टी आवंटित क्षेत्र में वस्तुओं के भंडारण, प्रदर्शन और बिक्री के लिए नियम के अधीन आवश्यक सभी लाइसेंस प्राप्त करेगी। इसके अलावा, पार्टी किसी भी कर या किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जो करार के अधीन अनुमति के अनुसार खुदरा बिक्री के संचालन पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है, या जो पार्टी द्वारा किए गए व्यवसाय के संबंध में सीसीआईसी को देय हो सकता है।
- 5.5. पार्टियों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि करार के अधीन पार्टी को सीसीआईसी, जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, के ग्राहकों और आगंतुकों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आवंटित क्षेत्र का उपयोग करने और उस पर कब्जा करने का विशेषाधिकार दिया जा रहा है। और पार्टी किसी अन्य को पार्टी के बीच हुए इस अनुबंध के



माध्यम से सौंपी गई अनुमति/विशेषाधिकार का उपयोग/शोषण करने की अनुमति नहीं देगी। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि आवंटित क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में पार्टी के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई हित निर्मित नहीं किया जा रहा है, चाहे वह किरायेदारी, लाइसेंस या अन्य प्रकार का हो।

- 5.6. इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, यह सहमति है कि आवंटित क्षेत्र हर समय सीसीआईसी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेगा और सीसीआईसी आवंटित क्षेत्र का प्रभुत्व और कब्जा बनाए रखेगा और आवंटित क्षेत्र के उपयोग की विधि और तरीके को निर्देशित करने का अधिकार होगा ताकि सीसीआईसी के ग्राहकों और आगंतुकों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
- 5.7. कि पार्टी उन सभी वस्तुओं का अपना स्टॉक रखेगी जिन्हें आवंटित क्षेत्र पर प्रदर्शित करने की अनुमति है और उन्हें आग या किसी खतरे से बचाएगी। पार्टी आवंटित क्षेत्र में किसी भी आग या क्षति की घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी, लेकिन उसे वहां किसी भी बड़े संरचनात्मक परिवर्तन या बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 5.8. पार्टी किसी भी कर या किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी जो पार्टी के व्यवसाय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाया जाएगा।
- 5.9. यह कि पार्टी दुकानों और स्थापना अधिनियम और समय-समय पर उन पर लागू होने वाले और स्थानीय अधिकारियों द्वारा लागू किए गए अन्य श्रम कानूनों के तहत सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगी।
- 5.10. कि सीसीआईसी किसी भी तरह से पार्टी के कर्मचारियों को कोई वेतन, मजदूरी, मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी और सीसीआईसी और पार्टी के उक्त कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा।
- 5.11. सीसीआईसी को पार्टी के किसी भी व्यक्ति के रोजगार पर आपत्ति करने का अधिकार होगा जो सीसीआईसी की राय में बुरे चरित्र का है और शोरूम या आवंटित क्षेत्र में उपद्रव पैदा कर सकता है।
- 5.12. कि सीसीआईसी इस करार के अनुसार आवंटित क्षेत्र में पार्टी को बिजली कनेक्शन प्रदान करेगा और इसकी आपूर्ति सीसीआईसी द्वारा नियंत्रित और शासित होगी। पार्टी स्वीकृत भार के अनुसार बिजली का उपयोग करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पार्टी द्वारा उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों से क्षेत्र में कोई शॉर्ट सर्किट न हो। पार्टी की गलती के कारण संपत्ति या बिजली कनेक्शन को कोई नुकसान होने की स्थिति में उसकी मरम्मत अपने खर्च पर करनी होगी। आउटलेट पर फिक्स किए गए या रखे गए क्षतिग्रस्त उपकरण को पार्टी द्वारा बदला जाएगा और किसी भी विवाद या मतभेद के मामले में इस संबंध में सीसीआईसी का निर्णय अंतिम होगा।
- 5.13. यह कि पार्टी सीसीआईसी को बिक्री के लेनदेन के संबंध में उचित खाते बनाए रखेगी। उक्त खाते और रिकॉर्ड सीसीआईसी या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट/प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं और संबंधित लेखा पुस्तकें या रजिस्टर पूरे समय निरीक्षण के लिए आवंटित क्षेत्र में हमेशा रखे या उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 5.14. कि इस समझौते के आधार पर पार्टी किसी भी तरह से सीसीआईसी और/या उसके ब्रांड नाम/लोगो आदि का कोई प्रतिनिधित्व अधिकार प्राप्त नहीं करती है।
- 5.15. यदि इस समझौते के अस्तित्व के दौरान किसी भी बिक्री योग्य सामग्री/वस्तु पर प्रतिबंध लगाया जाता है या उसकी बिक्री, जो सक्षम अधिकारियों या सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश या अधिसूचनाओं द्वारा प्रतिबंधित है, तो पार्टी उसका पूरी तरह से पालन करेगी और बिक्री योग्य सामग्री/वस्तुओं को पार्टी द्वारा तुरंत वापस ले लिया जाएगा और पार्टी द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।



- 5.16. पार्टी द्वारा उपयोग किए जा रहे सीसीआईसी के शोरूम में आवंटित क्षेत्र हमेशा सीसीआईसी के कब्जे में रहेगा और सीसीआईसी की देखरेख और नियंत्रण में रहेगा। सीसीआईसी को ग्राहकों, मेहमानों और पार्टी के कर्मचारियों के लिए आवंटित क्षेत्र तक जाने वाले मार्ग, मार्ग तय करने का अधिकार होगा। सीसीआईसी हर समय आवंटित क्षेत्र तक जा सकेगा।
- 5.17. पार्टी सहमत है और स्वीकार करती है कि सीसीआईसी के शोरूम में आवंटित क्षेत्र से संबंधित पार्टी के पक्ष में कोई भी अधिकार निर्मित नहीं किया गया है और पार्टी उक्त क्षेत्र में कोई किरायेदारी अधिकार या कोई अन्य अधिकार नहीं बनाएगी या दावा नहीं करेगी।
- 5.18. इस अनुबंध में दिया गया पता ही पार्टियों का पता होगा और पार्टी के पते में किसी भी बदलाव के मामले में इसे सीसीआईसी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।
- 5.19. कि सीसीआईसी इस समझौते के अंतर्गत आने वाले माल और पण्य की पार्टी द्वारा बिक्री के मामले में पार्टी के परिसर के भीतर किसी भी प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं देगा। तदनुसार, सीसीआईसी किसी अन्य डीलर को सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में उसी प्रकार का सामान प्रदर्शित करने के लिए कोई अनुमति/विशेषाधिकार नहीं देगा।

## 6. समाप्ति

- 6.1. कि इस समझौते की अवधि इसके निष्पादन की तारीख से शुरू होकर 3 वर्ष की है। इसके द्वारा यह सहमति और घोषणा की गई है कि कोई भी पक्ष किसी भी समय 90 दिनों का नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा।
- 6.2. यहां ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सीसीआईसी किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में बिना किसी देनदारी के इस समझौते को तुरंत समाप्त कर सकता है:
  - 6.2.1. जहां सीसीआईसी की राय है कि कंपनी ने लाइसेंस समझौते के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है;
  - 6.2.2. जहां कंपनी बैंकरप्ट, इन्सोल्वेंट हो गई है, अपने लेनदारों के साथ मिल जाती है या इसकी अपनी संपत्ति पर संकट होता है या कुर्की होती है या बंद होती है या परिसमापन में चली जाती है (वास्तविक पुनर्निर्माण के प्रयोजनों को छोड़कर) या इसकी संपूर्ण संपत्ति या इसके किसी भाग के लिए एक रिसेवर, परिसमापक या प्रशासक नियुक्त किया जाता है या इसके अधिवास के कानूनों के अधीन किसी समान व्यक्ति की नियुक्ति का सामना करना हो;
  - 6.2.3. जहां सीसीआईसी की राय है कि कंपनी की सेवाएं, कार्य, कृत्य आदि सीसीआईसी के हित और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक/प्रतिकूल हैं या ऐसे हैं जो लागू कानूनों के तहत अपराध होंगे;
  - 6.2.4. व्यवसाय करने के लिए कंपनी का मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स लागू कानून के अनुसार निलंबित है या कंपनी के स्वामित्व या प्रबंधन में परिवर्तन है;
  - 6.2.5. कंपनी लगातार 02 महीने से अधिक समय तक समझौते में सहमति के अनुसार न्यूनतम लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में चूक करती है।

## 7. समाप्ति के परिणाम

उपरोक्तानुसार समझौते की समाप्ति पर:

- 7.1. कंपनी आवंटित स्थान का उपयोग और कब्जा तुरंत बंद कर देगी और आवंटित स्थान को तुरंत खाली कर देगी और शांतिपूर्वक खुद को और अपने सामान को वहां से हटा लेगी;





- 7.2. कंपनी अपने सभी फर्नीचर, फिटिंग और कंपनी का नाम प्रदर्शित करने वाले किसी भी साइन बोर्ड/नोटिस सहित अन्य सामान को अपनी लागत पर हटाने की हकदार होगी। ऐसी दशा में, यदि कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है, सीसीआईसी कंपनी की लागत और खर्च पर और इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए किसी भी दायित्व के बिना इसे हटाने का हकदार होगा।
- 7.3. कंपनी समझौते की अवधि के दौरान सीसीआईसी से प्राप्त सभी गोपनीय जानकारी को तुरंत सीसीआईसी को सौंप देगी, जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डेटा बेस आदि शामिल हैं;
- 7.4. कंपनी सीसीआईसी के नाम और ब्रांड को कहीं भी प्रदर्शित करने की हकदार नहीं होगी और समझौते के अनुसार दिए गए ट्रेड मार्क्स, यदि कोई हो, का उपयोग करना/रखना बंद कर देगी और सीसीआईसी के लोगो, चिह्नों, ट्रेडमार्क आदि का उपयोग, जहाँ कहीं भी सीसीआईसी की अनुमति प्राप्त है या किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस आशय का कोई प्रतिनिधित्व करते हैं कि यह सीसीआईसी से जुड़ा हुआ है; भी तुरंत बंद कर देगी;
- 7.5. ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि सीसीआईसी द्वारा कंपनी को परिसर के शांतिपूर्ण खाली होने पर और लागू कटौतियों, यदि कोई हो, के बाद वापस कर दी जाएगी;
- 7.6. कंपनी करार की समाप्ति पर उनके बकाये का तुरंत समाधान और निपटान करेगी। ऐसे निपटान के तौर-तरीकों पर पारस्परिक रूप से लिखित रूप में सहमति होगी, जो लिखित करार का एक अभिन्न अंग होगा;
- 7.7. सीसीआईसी द्वारा समाप्ति से किसी भी तरह से नुकसान/बकाया की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करने या कंपनी से सीसीआईसी द्वारा बकाया किसी भी दावे या किसी भी राशि को समायोजित करने के उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## 8. नोटिस

- 8.1. सीसीआईसी द्वारा करार के अधीन कंपनी को दिए जाने वाले कोई भी निर्देश/अनुदेश/जरूरतें प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव, सीसीआईसी के प्रबंध निदेशक द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके लिए पार्टियों के बीच आपसी सहमति लिखित रूप में हो, जिसका लेखन समझौते का अभिन्न अंग होगा; हस्ताक्षरित होने पर वैध रूप से दी गई मानी जाएगी।
- 8.2. एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भेजा गया कोई भी संचार/नोटिस/पत्र/दस्तावेज़ अंग्रेजी या हिंदी या दोनों में होंगे और करार में बताए गए पते पर या दूसरे पक्ष को लिखित रूप में अधिसूचित ऐसे अन्य पते पर वितरित किए जाएंगे। संचार/नोटिस आदि मेल, व्यक्तिगत डिलीवरी द्वारा भेजे जा सकते हैं और जहाँ फैक्स या ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा जाता है, उसे वैध सेवा के लिए पंजीकृत ए/डी संचार/कूरियर रसीद के साथ होना चाहिए;

### 8.3. संचार के लिए पते इस प्रकार हैं:

सीसीआईसी	:	के ध्यानार्थ: प्रबंध निदेशक/कंपनी सचिव
पता	:	सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली 110001
टेलीफोन	:	011- 23322107
ई-मेल	:	<a href="mailto:cscic76@gmail.com">cscic76@gmail.com</a>
कंपनी	:	के ध्यानार्थ:



पता :  
टेलीफोन :  
ई-मेल :

## 9. दूसरे को सौंपना

करार को न तो कंपनी द्वारा किसी दूसरे को सौंपा/स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और न ही कंपनी सीसीआईसी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी कर्तव्य या दायित्व को संचालित करने और/या तीसरे पक्ष को सौंपने का कोई उप-लाइसेंस और/या अधिकार प्रदान कर सकती है। हालाँकि, सीसीआईसी करार और उसके व्यवसाय या उसकी व्यावसायिक इकाई के तहत उसके किसी भी अधिकार और लाभ को बेचने, स्थानांतरित करने और आवंटित करने आदि के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। क्रेता/ हस्तांतरिती/ अभ्यर्पिती तथ्यतः सीसीआईसी के स्थान पर कदम रखेगा और पार्टि नए क्रेता/ हस्तांतरिती/ अभ्यर्पिती के साथ करार के अधीन अपने दायित्वों को जारी रखेगी।

## 10. विवाद निपटान - मध्यस्थता

10.1. करार से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी प्रतिवाद, विवाद, कलह या दावे, या उसके उल्लंघन, समाप्ति या वैधता को पहली बार में सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा;

कि करार या उसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिवाद, विवाद, या उसके दावों की दशा में पहले सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। यदि कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होता है तो इसे (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ द्वारा तय किया जाएगा। कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों, उसके अधीन नियमों और/या बाद के अधिनियमों, उसके संबंध में संशोधनों के अनुसार आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

## 11. न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

करार से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अनुमति दी गई या आवश्यक कोई भी मुकदमा, संदर्भ या अन्य फाइलिंग केवल नई दिल्ली में सक्षम अदालतों में स्थापित की जाएगी और पक्ष विशेष रूप से किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर करने के लिए सहमत हैं।



इसके साक्ष्य में पार्टियों ने ऊपर उल्लिखित तिथि और स्थान पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।  
अनुसूची - I

बेचे जाने की अनुमति वाले उत्पादों का विवरण:

**पार्टी**  
(इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से)

**सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.**  
(इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से)

**पार्टी का गवाह**

**सीसीआईसी का गवाह**

1.

1.

2.

2.

सीसीआईसी/सीएस/  
ई-नोटिस/  
अक्टूबर'2024/01

सीसीआईसी के नई दिल्ली शोरूम में  
रियायती व्यवस्थाओं के लिए ई-टेंडर



सीसीआईसी ऑफ इण्डिया  
लि.,  
पीएसयू (वस्त्र मंत्रालय)

**E-TENDER NOTICE FOR  
CONCESSIONAIRE ARRANGEMENTS  
AT CCIC's EMPORIA, NEW DELHI**

**CENTRAL COTTAGE INDUSTRIES CORPORATION  
OF INDIA LTD. (CCIC)  
UNDER MINISTRY OF TEXTILES**



**E-TENDER NOTICE FOR CONCESSIONAIRE ARRANGEMENTS FOR VARIOUS PRODUCTS AT EMPORIA OF CENTRAL COTTAGE INDUSTRIES CORPORATION OF INDIA LTD. (CCIC), UNDER MINISTRY OF TEXTILES.**

**BID DATA SHEET**

1.	NIT TENDER No.	CCIC/CS/E-notice/ <b>New Delhi/ October' 2024</b>
2.	Project	E-Tender notice for Concessionaire arrangement in CCIC's showrooms at <b>NEW DELHI</b>
3.	Contact Person	Company Secretary Tel.011-23322107
4.	Bid to be submitted	Online
5.	Bidding Process	Two Bid System (Technical and Financial Bid)
6.	Website for NIT download and any other related information	<a href="http://www.cottageemporium.in">www.cottageemporium.in</a>
7.	Portal for Online Submission	<a href="http://www.eprocure.gov.in/eprocure/app">www.eprocure.gov.in/eprocure/app</a>
8.	Validity of bid	The Bid shall be valid for a period of 120 days from the date of opening of bids
9.	Selection Method	H-1: Highest Percentage technically qualified bidders
10.	Time frame for implementation	As per Tender document
<b>Schedule of Events</b>		
	<b>EVENT</b>	<b>VENUE/DATE/TIME</b>
3.	Submission of relevant documents	Central Cottage Industries Corporation of India Limited, Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath New Delhi-110001 <b>Before 07/11/2024, 03:00 PM</b>
4.	Pre-bid Meeting	<b>28/10/2024</b> at 3.00 PM
5.	Submission of Online Bids	e-Procurement portal of NIC (eprocure.gov.in/eprocure/app) Latest by <b>07/11/2024, 03:00 PM</b>
6.	Opening of Technical Bids	e-Procurement portal of NIC (eprocure.gov.in/eprocure/app) <b>08/11/2024, 04:00 PM</b>
7.	Opening of Financial Bids	Intimated to technically qualified bidders.

**Note: In case any of the days mentioned above happens to be declared a holiday, the said event shall be held on the next following working day at the same time and venue.**



**E-Tender for offer of Concessionaire arrangement in CCIC's showrooms**

**INSTRUCTIONS FOR TENDERERS**

**12. Request for Tender**

**Central Cottage Industries Corporation of India Limited**

A Govt. of India Undertaking  
Ministry of Textiles, Govt. of India  
Jawahar Vyapar Bhawan  
Janpath, New Delhi – 110001  
Telephone No. 011 - 2332 3825, 011-23322107  
Fax No. 011-23323854  
Website : [www.cottageemporium.in](http://www.cottageemporium.in)  
Email : [cscicc76@gmail.com](mailto:cscicc76@gmail.com)

Central Cottage Industries Corporation of India Limited (CCIC), invites e-tenders for marketing/selling of various product categories on concessionaire basis at the counters in its showroom as specified at **Annexure A**.

**BRIEF ABOUT CCIC**

Central Cottage Industries Corporation of India Limited (CCIC) is Government of India Undertaking under Ministry of Textiles. CCIC operates retail showrooms in the name and style of “**Central Cottage Industries Emporium**” (CCIE) in New Delhi, Kolkata, Bengaluru, Chennai, Hyderabad and Kavedia (Gujarat).

CCIC retails high quality handicrafts and handlooms products from all over the country which includes but not limited to Sarees, shawls, accessories, Home furnishing, brassware, marble ware, art objects, carpets, pottery, furniture, wooden ware, and terracotta items. CCIC sources its merchandise directly from artisans, weavers, potters, sculptors and craftpersons. Many of the suppliers are National Awardees, State Awardees and Shilpgurus. This provides a marketing platform for craftpersons of India to market their production for their sustained development.

CCIC showrooms are visited by VVIPs, art lovers, delegates, dignitaries, NRIs and foreign tourists. Many Heads of states and Spouses have visited Central Cottage Industries Emporium during the last few years. A visit to CCIC invariably finds a place in the itinerary of a foreign tourist as this provides an opportunity to witness the rich heritage, tradition and culture of India.

By virtue of its long experience in handicrafts business spanning over 70 years, CCIC has a strong brand name and goodwill for quality.

**1. Period of Contract :**

3 (Three) Years, which can be renewed for further 2 (Two) years with the approval of the competent authority subject to availability of space.



## 2. Concessionaire Arrangement terms and conditions

- a. **For Delhi** - the minimum reserve price shall be Rs.500/- per sq. ft. per month and percentage revenue on Gross Sales excluding GST shall be based on the highest percentage offered by the party.
- b. The minimum percentage on Gross Sales excluding GST should 10% or higher. Gross Sales means Gross Sales before discount excluding GST. This is applicable for Delhi as well as other branches including shops.
- c. Highest percentage (H1) quoted by the party in each category shall be awarded the space under concessionaire arrangement and shall be valid for three years.
- d. Sales reconciliation shall be done on monthly basis and all products will be sold under the brand of CCIC.
- e. All other terms and condition shall be as per concessionaire agreement.
- f. That lock-in period for this arrangement shall be for Six Months, if the party vacates the allocated area in CCIC emporia before lock-in period, then the refundable security amount will be forfeited by the CCIC.

## 3. Methodology for allocation of space

- a. H1 party will be awarded the space in the CCIC emporia for the period of 3 (three) years which can be renewed for further 2 (two) years with the approval of the competent authority subject to availability of space.
- b. If H1 party withdraws consent then other parties who have submitted the bids other than H1 party will get an option/opportunity to utilize the vacant space and said space will be offered to H2 party at the same rate quoted by H1.
- c. If no response is received from H2 party within 3 working days from the receipt of e-mail, then the vacant space will be offered to H3 party at the same rate quoted by H1 party and so on.
- d. If the space was not allocated to any of the parties applied for tender, then re-tender will be processed/initiated.

## 4. Eligibility Criteria :

- (i) Experience : Minimum three years in the product category applied for (attach proof) as on 31/03/2024;
- (ii) Individual/ Partnership firms/ Company/ NGO /Co-operative Society etc. with supportive documents as proof can participate in tendering process;
- (iii) Party must enclose relevant/ necessary certificates, if any, required in the respective product category;



(iv) Minimum Turnover : As per Annexure A.

- **The turnover should be of same product category applied for and CA certificate may be enclosed if not identifiable from audited Balance Sheet or ITRs.**
- In line with Policy Circular No. 1(2) (1)/2016-MA Dated 10<sup>th</sup> March, 2016 of the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises on “**Relaxation of Norms for Startups and Micro & Small Enterprises in Public Procurement on Prior Experience and Prior Turnover Criteria**”, the **Criteria of Prior Turnover and Prior Experience are relaxed for MSEs, subject to meeting of quality and technical specifications.**
- In line with DPE O.M. No. DPE/7(4)/2007-Fin Dated 08-11-2016 on “Relaxation of Norms for **Startups Medium Enterprises** in Public Procurement Regarding Prior Experience - Prior Turnover criteria” and as per Section 2.1(5) of “Action Plan for Startup India” announced by the Government of India in Jan 2016, the **Criteria of Prior Turnover and Prior Experience are exempted for the Startups**, subject to meeting of quality and technical specifications.

However, in case of circumstances where items/category related to public safety, health, critical security operations and equipments etc., CCIC may prefer party to have prior experience rather than giving orders to new entities, for such items/category, wherever adequate justification exists, CCIC may not relax the criteria of prior experience/ turnover for the MSEs.

The MSE bidders shall be offered relaxation from Prior Experience Criteria, provided the bidder submits document such as MSE registration certificate to prove bidder's registration in trade similar category.

Similarly, MSE bidders shall be offered relaxation from Prior Turnover Criteria, provided the bidder submits document such as MSE registration certificate.

The definition of “Startups” is as per the Gazette Notification of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) dated 17th February 2016 and all other subsequent directives/guidelines /amendments thereof. The Startup Enterprises shall submit startup India recognition certificate issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) of Ministry of Commerce and Industry, Government of India in order to be considered for relaxation in prior experience and prior turn over.

Benefits/relaxation to start ups/ MSME would be given as per the guidelines issued by the authorities from time to time.

CCIC invites E-Tenders from bidders under **two bid system** (Technical Bid and Financial Bid) for Concessionaire arrangements in CCIC's showrooms.

Interested Bidders may submit their bids online using e-Procurement portal of NIC (eprocure.gov.in) in the prescribed formats along with all necessary documents and information requested herein.





The bids may be submitted latest by 3.00 PM on **07/11/2024**. The bids shall be opened on **08/11/2024** at 04.00 PM.

All details regarding the Tender are available on websites: [www.thecottage.in](http://www.thecottage.in), and [www.eprocure.gov.in/eprocure](http://www.eprocure.gov.in/eprocure). Any changes/modifications/corrigendum/ allotment of space, if any in connection with this Tender will be intimated through one or more of these websites only. Prospective bidders are therefore requested to visit above mentioned websites regularly to keep themselves updated. CCIC shall not be liable to send any individual information or issue a public notice.

## 5. Electronic Submission of Bids

- i. Bids (Technical and Financial Bid) against this Tender shall be received only electronically through the e-Procurement Portal of NIC ([eprocure.gov.in](http://eprocure.gov.in)). **No bids shall be accepted in hard copy or in any other form.**
- ii. For submission of e-bids, bidders are required to get themselves registered with [eprocure.gov.in](http://eprocure.gov.in) website using Digital Signature Certificate (DSC) essentially having signing certificate.
- iii. Earnest Money Deposit (EMD) is required to be submitted online through e-procurement portal as per bank details mentioned in the Tender.

The bidders are required to upload soft copies of the following:

- Technical Bid (prepared on Company's Letter head).
- Financial Bid (prepared on Company's Letter head).
- Copy of PAN & GST No.
- Scanned copy of UTR No. generated through online payment of EMD.
- EMD exemption certificate, if any.

For any query relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal ([eprocure.gov.in](http://eprocure.gov.in)), Bidder may contact **CPP Portal Helpdesk** on Tel Nos.:1800-3070-2232, +91 8826246593 Tel: The 24x7 Help Desk Number 0120-4200462, 0120-4001002 and Company Secretary Tel.011-23322107.

## 6. Bid Security/EMD

- (a) All Bidders are requested to furnish Earnest Money Deposit of mentioned under column "EMD" of Annexure 'A' for each product category being applied for in each location. (except those exempted under (e) below following modes as under :

- i. NEFT/RTGS as per bank details.

Name of Account holder : Central Cottage Industries Corp. of India Ltd.  
Account Number : 10185775245  
IFSC Code : SBIN0006199  
Bank Name : State Bank of India  
Branch : Jawahar Vyapar Bhawan, New Delhi



- ii. in the form of Insurance Surety Bonds, Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque or Bank Guarantee (including e-Bank Guarantee) from any of the Commercial Banks.
  - iii. Bids for which EMD is not received in the prescribed manner shall be rejected summarily.
- (b) CCIC shall not be responsible for non-receipt/non-delivery/delayed receipt of the EMD due to any reason whatsoever.
- (c) Bidders who wish to bid for multiple product categories in one or more locations will submit separate bids for each product category and each location.
- (d) EMD shall not carry any interest and EMD of unsuccessful bidders shall be returned after finalisation of Tender. EMD of the successful bidder shall be adjusted against security deposit. However, the entire EMD may be forfeited in case the successful bidder withdraws or the details furnished in the bid documents are found to be incorrect or false during the tender selection.
- (e) In case the bidder is a Micro or Small Enterprise registered with District Industries Centers or Khadi and Village industries Commission or Khadi and Village Industries Board or Coir Board or National Small Industries Corporation or Directorate of Handicraft and Handloom or any other body specified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, then they shall be exempted from submission of EMD, subject to submission of valid certificate (i.e. Certificate should be valid as on Bid Due Date). If the MSE bidder does not provide the appropriate document or any evidence to substantiate the above, then EMD exemption shall not be granted and without EMD, this may result the bid being liable for rejection.

Similarly, The Startups bidders are exempted from payment of Earnest Money Deposit (EMD). The definition of "Startups" is as per the Gazette Notification of the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) dated 17th February 2016 and all other subsequent directives/guidelines /amendments thereof. The Startup Enterprises shall submit startup India recognition certificate issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) of Ministry of Commerce and Industry, Government of India. For further detail on the Startups, website <http://startupindia.gov.in> may be visited.

- (f) Benefits/relaxation to start ups/ MSME would be given as per the guidelines.

## 7. Security Deposit

Interest free security deposit equivalent to 45 days minimum reserve price at Rs.500/- per sq. ft. per month shall be submitted in the following modes as mentioned below and shall be refunded on expiry of the Concessionaire agreement and vacation of the premises to the satisfaction of CCIC, after effecting any recoveries or adjustment for any dues from the Party:-

- i. **NEFT/RTGS** as per bank details.  
Name of Account holder : Central Cottage Industries Corp. of India Ltd.  
Account Number : 10185775245  
IFSC Code : SBIN0006199  
Bank Name : State Bank of India



Branch : Jawahar Vyapar Bhawan, New Delhi

- ii. in the form of Insurance Surety Bonds , Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque or Bank Guarantee (including e-Bank Guarantee) from any of the Commercial Banks.

#### 8. Bid Details

Bidders are required to furnish their bid, strictly in the prescribed **Technical Bid (Annexure – B)** and **Financial Bid (Annexure –C)**.

9. Bidders are required to follow **General instructions** as mentioned at **Annexure – D**.

10. **Draft agreement** covering broad terms and conditions of arrangement are mentioned at **Annexure – E**.

**NOTE :** CCIC reserves the right to cancel any or all of the tenders/ bid received without assigning any reason thereof.



**Annexure-A**

**Details of Earnest Money Deposit for a period of three years at CCIC's showroom at New Delhi**

**1. Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi**

1 Sl. No.	2 Products	3 Area (Sq. Ft.)*	4 Earnest Money Deposit @ 2% ** (Rs.)	5 Turnover (Rs. in lacs)		
				Last F.Y.	Last 2 F.Y.	Last 3 F.Y.
1.	Leather Products	320	80,000	20	35	50
2.	Bridal Wear Collection	522	2,80,000	80	120	160
3.	Books & CDs	148	80,000	30	50	70
4.	Herbal Cosmetics	36	40,000	15	25	40
5.	Jutties (Traditional Footwear)	48	40,000	12	20	26
6.	Rudraksha Beads	49	60,000	50	80	130
7.	Mehndi & Choori and Tattoos & Bindies	40	40,000	10	15	20
8.	Silver Articles (excluding Gulabi Meenakari from Varanasi, Filigree Handicrafts and Silver Coins)	70	2,00,000	80	120	160
9.	Crystal Articles/ Artefacts	387	40,000	15	25	40
10.	Organic Products	320	40,000	15	25	40
11.	Gifting Chocolates/ Dry Fruit	45	40,000	15	25	40
12.	Men's Wedding Collection/ Suiting (in handloom/ Lenin only)	522	40,000	50	80	130
13.	Ladies Salwar Kurta Dupatta (Skd) and ladies Kurti	316	40,000	40	70	100
14.	Designer Hand Bags	316	40,000	20	35	50
15.	Designer Studio	506	40,000	50	80	130
16.	Tea/ Coffee	49	40,000	15	25	40
17.	Papier Mache'	156	40,000	20	35	50
18.	Brass Handicrafts	270	40,000	50	80	130
19.	Khadi Products	320	40,000	50	80	130
20.	Cane/Bamboo	387	40,000	15	25	40
21.	Gift wrapping and packaging	347.21	40,000	30	50	70
22.	Any other category in Handicraft & Handloom items except those ones in which CCIC deals.	150	40,000			

\*CCIC reserves the right to cancel any or all of the tenders/ bid received without assigning any reason thereof.



## 2. Crafts Museum, New Delhi

1 Sl. No.	2 Products	3 Area (Sq. Ft.)*	4 Earnest Money Deposit @2% (Rs.)**	5 Turnover (Rs. in lacs)		
				Last F.Y.	Last 2 F.Y.	Last 3 F.Y.
1.	Gold Jewellery and Precious & Semi-precious Stone Jewellery	129.5	60,000	30	50	80
2.	Mehndi & Choori and Tattoos & Bindies	52	40,000	10	15	20
3.	Ladies Salwar Kurta Dupatta (Skd) and ladies Kurti	77	40,000	20	30	50

\* Area indicated is approximate & may vary as per need basis at the time of awarding the contract.

\*\* CCIC reserves the right to cancel any or all of the tenders/ bid received without assigning any reason thereof.

Turnover criteria for bidders for Jutties (Traditional Footwear), Marble products with precious stone/ semi-precious stone in-lay and Wooden Handicrafts with precious stone/ semi-precious stone in-lay categories can be waived for craftsmen enrolled with office of Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Govt. of India and possessing Artisan Photo Identity Card issued by office of DC (Handicrafts).

**Note: In case any of the days mentioned above happens to be declared a holiday, the said event shall be held on the next following working day at the same time and venue.**



Annexure - B

**TECHNICAL BID**

To

**Central Cottage Industries Corporation of India Ltd.**

Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi- 110001

**Operation for Concessionaire arrangement in CCIC's NEW DELHI Showroom.**

1. Name of Product(s) : \_\_\_\_\_

2. Name of Showroom (Place) for offer : \_\_\_\_\_

Sr. No.	Particulars	
1.	Name of the firm (Individual/ Partnership/ Company/ NGO/ Co-operative Society etc. with supportive documents as proof)	
2.	Address	
3.	Name of Owner/ Members/ Directors/ Partners	
4.	Authorized Representative/ person	
5.	Telephone Number	Office : _____ Shop : _____ Residence : _____ Mobile : _____ Fax No. : _____ E-Mail : _____
6.	Number of years of experience dealing with products as mentioned in bid. (Please attach documents like certificates or Profit and loss Account and Balance sheet – self attested)	
7.	Turnover of last three years (Rs. in lacs)  (Please attach documents like Annual report, Profit and loss Account and Balance sheet certified from Chartered Accountant).  The turnover should be of same product category applied for and CA certificate may be enclosed if not identifiable from audited Balance Sheet or ITRs.	2021-22 .....  2022-23 .....  2023-24 .....



8.	Details of business / shops / showrooms presently operated including address.	
9.	PAN (copy enclosed)	
10.	GST No.	
11.	Provident Fund No.(copy enclosed)	
12.	ESI No. (copy enclosed)	
13.	a.	Whether MSME (Yes/No) (attach proof)
	b.	If MSME then whether SC/ST category. (attach proof)
	c.	Whether start up (attach proof)
14.	Date	Signature of Authorized person as a token of acceptance of all the above conditions.  (Signature & seal)

All documents enclosed should be self-attested.

**Undertaking by bidders:**

I/We understand that:

1. I/We am/are submitting this online bid to enter into Concessionaire arrangement on the terms and conditions as mentioned in the online document as available on the website: <https://www.thecottageemporium.in> and <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.
2. No financial indication has been given in the Technical Bid.
3. All payments would be made through electronically as per bank details mentioned in Tender payable to "CCIC of India Ltd., New Delhi".
4. I / We, am / are also aware that any alteration / addition / omission in this bid may render the same invalid and CCIC may not seek any clarification.
5. I/We am/are aware that in all disputes and/or differences arising out of or relating to or concerning this offer and the contract, if any, between myself/ ourselves and CCIC, concerning and/or relating



thereto and/or relating to the above mentioned Concessionaire arrangement, Courts in New Delhi shall have exclusive jurisdiction.

6. I/ We hereby confirm that, all the terms and conditions specified in this Technical Bid form are acceptable to me/us and will form part of the Concessionaire agreement.
7. I/We have signed all the pages of the Technical Bid having confirmed/ accepted the terms and conditions as stated therein.
8. INFORMATION TO BE FILLED IN BY THE BIDDER FOR THE PURPOSE OF REFUND OF SECURITY DEPOSIT/ EMD/ OTHER REMITTANCES/ PAYMENT OF SALES PROCEEDS:-

Name of the beneficiary :

Name of the Bank :

Name and address of the Branch :

Account Type (SB/CA etc.) :

Account No. :

PAN :

IFSC Code :

#### Disclaimer

- Cancelled cheque of above mentioned account and Copy of Pan Card must be enclosed.
- I hereby declare that particulars given above Point No.8 are correct and complete, if the transaction is delayed or not effect at all for reason of incomplete of incorrect information, I would not hold the CCIC OF INDIA LTD. responsible.
- I also under take that I shall inform any changes in my bank account particulars in future to CCIC failing which payment shall continue to be made as details to CCIC by me, for which CCIC shall not be held responsible.
- I have been informed that CCIC reserves the right to cancel any or all of the tenders/ bid received without assigning any reason thereof.
- Certified that the particular furnished above are correct as per knowledge.

I/We further confirm that all the required details have been furnished in the appropriate blank places and if this Tender form is incomplete in any respect on my/our part then the same may be rejected fully.

Signature of the Bidder : \_\_\_\_\_

Name in BLOCK Letters : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_





Annexure-C

“FINANCIAL BID”

From:

---

---

Date:

The Company Secretary,  
CCIC of India Ltd.  
Jawahar Vyapar Bhawan  
Janpath,  
**New Delhi-110001**

**Financial Bid for entering into Concessionaire arrangement in CCIC's NEW DELHI Showroom**

We have read the Tender conditions in full, read all the relevant documents, made all the enquiries, having cleared all our doubts, having agreed to all the terms and conditions, having submitted the relevant documents required for establishing our eligibility, wish to bid as under:

**Operation for Concessionaire arrangement in CCIC's NEW DELHI Showroom.**

1. Name of Product : \_\_\_\_\_

2. Name of Showroom (Place) for offer : \_\_\_\_\_

S.No.	Particulars	
1.	Name of the firm (Individual/ Partnership/ Company/ NGO/ Co-operative Society etc. with supportive documents as proof)	
2.	Address  PIN Code	



3.	Authorized Representative/ person	
4.	Percentage to be offered on actual sales in CCIC's emporia.	
<b>Note :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. For Delhi - the minimum reserve price shall be Rs.500/- per sq. ft. per month and percentage revenue on Gross Sales excluding GST shall be based on the highest percentage offered by the party.</li><li>2. The minimum percentage on Gross Sales excluding GST should 10% or higher. Gross Sales means Gross Sales before discount excluding GST. This is applicable for Delhi as well as other branches including shops.</li><li>3. Highest percentage shall be valid for three years and if party withdraw consent then other parties may use the vacate space at H1 percentage.</li><li>4. Sales reconciliation shall be done on monthly basis and all products will be sold under the brand of CCIC.</li><li>5. All other terms and condition shall be as per concessionaire agreement</li><li>6. On signing the agreement, the successful bidder will submit 6 post-dated cheques for values equivalent to minimum reserve price per month.</li></ol>		
	Date	(Signature & Seal)



**ANNEXURE - 'D'**

**GENERAL INSTRUCTIONS FOR THE BIDDERS**

1. **Last Date/Time of uploading of Tender bids:** The last date of receipt of Tender bids is upto 3:00 pm on **07/11/2024**. After this time, no bids can be uploaded.
2. **Date of Online opening of the Tender bids:** The Tenders will be opened on the next day i.e. the last date of the receipt of the Tenders, at 4:00 pm. All bidders are to be required to submit relevant documents as per address mentioned in Bid Data Sheet.
3. The Bids should be submitted online in two parts, the '**Technical Bid**' and '**Financial Bid**'
4. **Authorized Signatory:** The Bid submitted online shall be submitted under Digital Signature of person duly authorized to bind the Bidder to the Contract.
5. The Bid can be so signed and forwarded by bidder or bidder's representative. The Representative will have to submit a Letter of Authority/ Power of Attorney (POA) duly executed by the bidder as offline document or when demanded by CCIC, otherwise the offer is liable to be considered null and void at any stage as per the decision of CCIC. This POA shall empower the representative for all actions related to this bid as required from time to time. All actions by the representative in relation to this bid shall be binding on the Organisation for whom the bid is submitted.
6. The technical bid will be declared open at 4:00 p.m. on the date of submission as above. The participating Bidders are requested to note the timing of all the Tender openings.
7. The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and delivery of its documents, including costs and expenses related to visits to the site CCIC will in no case be responsible or liable for these costs regardless of the outcome of the bidding process.
8. **Caution**  

This is to be remembered that this is an e-Tender and any Tender document like bid, etc. if physically deposited in the "Offline Document Box" would not be considered. The bid would be only considered when it is e-Tendered.
9. The authorized signatory of the Bidder is required to digitally sign on all the pages and submit the technical bid and financial bid as a token of acceptance of all the terms and conditions of the Tender.
10. The Bid submitted by the Bidder, all correspondence and documents relating to the bid exchanged by the Bidder and the CCIC shall be written in the English language. Any printed literature/certificate/any other document furnished by the Bidder may be in another language, provided they are accompanied by an accurate translation of the relevant passages in the English language, in which case, for purpose of interpretation of the Bid the English translation shall prevail. In the event of submission of any document/ certificate by the Bidder in a language other than English, the English translation of the same duly authenticated by Chamber of Commerce of bidder's country shall be submitted by the bidder whenever demanded by CCIC.
11. Whether MSME/ SC/ ST category (attach proof)



12. Vide OM No. F20-2/2014-BPD (Pt) dated 27/07/2017 from Procurement Policy Division, Deptt. of Expenditure, Ministry of Finance, Govt. of India relaxation is available to start-ups in Turnover and Experience criteria.
13. Vide O.M. No. F. 20/2/2014-PPD (Pt.) dated 25th July 2016 from Procurement Policy Division, Deptt. of Expenditure, Ministry of Finance and Policy Circular No. 1(2)(1)/2016-MA dated 10th March, 2016 of MSMEs, relaxation is available to MSMEs in Turnover and Experience criteria.
14. All the benefits/ exemptions/ relaxations as provided by Government through its circular/notification from time to time will be applicable to MSMEs while applying for the tender and at the time of selection of the party subject to the approval of the competent authority.
15. **The Percentage to be offered on actual sales shall be quoted in the financial bid only and not in the Technical Bid, otherwise bid will be rejected.**
16. Interpretation and decision by CCIC on the terms of the Tender will be final and binding.
17. All the conditions of the Tender and the advertisement in the newspaper will form a part of the agreement.
18. CCIC reserve the right to call for any clarification / papers required for scrutiny from anyone including the Bidder. CCIC are free to take any clarification or document or certificate from the associated banks and other agencies for scrutiny purpose or for deciding on the bid.
19. CCIC reserve the right to cancel the bid process or reject any or all of the tender(s) received, without assigning any reason thereof.
20. **The process**
  - a. The Technical bids would be opened at 4.00 p.m. on the next day of the last day of submission of Bids.
  - b. A constituted Committee of the officials of CCIC would be formed for opening of the bids.
  - c. The Financial Bid will not be opened on the day of opening of Technical Bids.
  - d. After declaration of opening of the technical bids, an evaluation of the technical eligibility of the Bidders would be carried out by the Constituted Committee of CCIC.
  - e. The decision regarding qualification/ disqualification of the Bidders shall lie with CCIC and shall be final and binding on the bidders.
  - f. Thereafter, the date of opening of the Financial Bid will be intimated electronically through e-procurement portal to the qualified bidders only. This would also be informed through the posting on the website <http://www.thecottage.in/service/Tender>. The bidders are advised to regularly visit the aforesaid website.
  - g. The financial bids will be opened by the constituted Committee of the officials of CCIC and CCIC as per the mechanism set in the e- Tenders.
  - h. It is clarified that the Financial Bids will not be opened/be valid, for the Bidders who do not qualify in the Technical bids.
  - i. Based on the financial quote in the bids, the comparative statement of bids would be prepared.



- j. H-1 party shall be considered for awarding the Concessionaire contract.
- k. The discount shall be subject to GST as per rates applicable on the date of billing.

21. **Bid Security/ EMD**

- a. In case the bidder is a Micro or Small Enterprise registered with District Industries Centers or Khadi and Village industries Commission or Khadi and Village Industries Board or Coir Board or National Small Industries Corporation or Directorate of Handicraft and Handloom or any other body specified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, then they shall be exempted from submission of EMD, subject to submission of valid certificate (i.e. Certificate should be valid as on Bid Due Date). If the MSE bidder does not provide the appropriate document or any evidence to substantiate the above, then EMD exemption shall not be granted and without EMD, this may result the bid being liable for rejection.
- b. EMD will be returned to all the unsuccessful bidder(s) at the end of the selection process. However, the entire EMD may be forfeited in case the successful bidder withdraws or the details furnished in the bid documents are found to be incorrect or false during the tender selection.

22. **Stamp Duty**

The stamp duty as applicable will be borne by the successful bidder for execution of the License Agreement.

23. **Pre-Bid meeting and assistance for e- Tendering**

A pre-bid meeting shall be held on **28/10/2024** (if it happens to be a holiday in CCIC then on next working day) at 3.00 p.m. in Board Room of CCIC situated in Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi – 110001. Parties may attend the meeting through virtual mode by sending their e-mail for confirmation on or before **28/10/2024** at [cscic76@gmail.com](mailto:cscic76@gmail.com). Link will be sent to only those parties who have sent the confirmation through e-mail. All the queries raised by any prospective Bidder would be answered by CCIC in the pre-bid meeting. All are invited to attend.

24. **Validity of the bids**

1. The bidder's offer shall be valid for a minimum period of 120 days from the closing date of the tender. If CCIC so requires, during the evaluation/finalization of the tender, the bidder can be asked to extend the validity of the offer for a further period of 60 days which will be binding on the bidder.
2. CCIC will not accept any inclusion/modification of any terms including prices after opening/ acceptance of the bids.

25. **Inspection clause**

1. CCIC reserves the right to inspect the present facility / facility from where the similar products being offered by the bidder(s) in order to assess their infrastructure, quality and capability to deliver the services during tender evaluation process.
2. CCIC further reserves the right to inspect the facility of the selected concessionaire in order to confirm consistency of quality of the product being sold during the contract period.



26. **Evaluation criteria**

1. **Evaluation Criteria for Techno-Commercial bid**

The Techno-Commercial bids would be evaluated for their compliance to the eligibility criteria specified in main tender. CCIC reserves the right at its sole discretion to seek whatever information, documents etc. from the bidder as it may consider necessary for the purpose of evaluation of the bids.

2. **Evaluation Criteria for Price bid**

The Price Bids of only those bidders who qualified in the evaluation of their Techno- Commercial Bids would be opened. The date and time of opening of the Price Bids would be intimated in advance to the bidders who have qualified in the Techno- Commercial Bid evaluation, and their authorized representatives only would be permitted to participate in the opening of the Price Bids.

3. **Evaluation of price bids & selection of concessionaire –**

- i) The concessionaire offering the highest commission/discount/license fee will be considered as H1 and shall be considered for award of the concessionaire arrangement contract, however, offering the highest commission/discount/license fee shall not confer any right on the concessionaire to seek award of the contract. CCIC reserves its right to reject the bid at any stage including after opening of financial bid.
- ii) CCIC will not accept inclusion of any additional costs, after opening of the tender.
- iii) Submission of incomplete or incorrect information or with arithmetical errors in compilation of the data would be at the bidder's sole risk, and the decision of CCIC in such cases would be final and binding.

27. **Working hours**

The working days would be as observed by CCIC and the holidays would be as observed by CCIC in its office in Delhi.

28. **Display of signage**

The place for display of the name of the Concessionaire would be indicated by CCIC. Other than this no part of the showroom except as specified by CCIC, would be used for any display, advertisement, signage, posters, bills, etc. of any kind.

29. **Security Deposit**

Interest free security deposit equivalent to 45 days minimum reserve price i.e., Rs. 500 per sq. ft. per month in the form of a Demand Draft or a Banker's Cheque would be taken from the concessionaire at the time execution of the agreement. The entire Interest free security deposit shall be refunded on expiry of the agreement and vacation of the area allotted to concessionaire to the satisfaction of CCIC, after effecting any recoveries or adjustment for any dues from the concessionaire.



**Annexure – 'E'**

**LICENSE AGREEMENT**

This Agreement is made on this \_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, Two thousand Twenty Four between

Central Cottage Industries Corporation of India Ltd., a company incorporated and registered under the Companies Act, 1956 (a Government of India undertaking Ministry of Textiles, having registered office at Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi (hereinafter referred as "CCIC"), represented by \_\_\_\_\_ which shall unless repugnant to the context includes his successors and assigns or any other official authorized for the purpose by the CCIC of the one part

AND

\_\_\_\_\_ a company incorporated and registered under the Companies Act, 1956 having registered office at \_\_\_\_\_ (hereinafter referred as "Party") represented by \_\_\_\_\_ Mr. \_\_\_\_\_, which shall unless repugnant to the context includes their successors, assigns, legal representative, of the other part.

Whereas CCIC runs showrooms in the name of Central Cottage Industries Emporium for the purpose of sale, display, marketing, exhibition and promotion of all kinds of Handloom and Handicraft products. The Central Cottage Industries Corporation has been instrumental in supporting and sustaining various crafts and artisan communities across the country. It operates under the brand name "Cottage," and its retail outlets are known for offering a diverse range of handcrafted items, textiles, jewelry, and more.

And whereas CCIC invited tenders from the desirous persons/companies/dealers for participation in operation of retail sale of different items of Handloom and handicraft product by CCIC in its showroom on instant sale basis vide tender dated \_\_\_\_\_; AND

Whereas the "Party" in pursuance of said tender notice offered its bids [technical and financial bids] in respect of "\_\_\_\_\_" items (more specifically mentioned in **schedule-I**) and whereas after examining the bids of Party, the CCIC accepted the offer of Party for participation in the operation of retail sale of said items on the space provided in the said showroom.

**NOW THIS AGREEMENT WITNESSES AS UDNER:**

**1. TENURE AND RELATIONSHIP**

- 1.1. That this Agreement is valid for a period of 3 years commencing from \_\_\_\_\_ and ending on \_\_\_\_\_ subject to the condition that the same can be revoked or determined as per conditions as contained hereunder in this Agreement.
- 1.2. This agreement may be extended/ renewed for a period of further 2 years at such terms and conditions upon the mutual consent of both the parties.



- 1.3. That the specific earmarked location of area shall be approximately \_\_\_\_ sq. ft. in the showroom at \_\_ level; which can be shifted anywhere in the showroom keeping in view the exigency of the business and policy of the CCIC.
- 1.4. That lock-in period for this arrangement shall be for Six Months, if the party vacates the allocated area in CCIC emporia before lock-in period, then the refundable security amount will be forfeited by the CCIC.

## 2. LICENSE FEE

- 2.1. That the party agree to pay Rs.500/- per sq. ft. per month (minimum reserve price) plus \_\_\_\_% revenue on Gross Sales excluding GST (Gross Sales means Gross Sales before discount excluding GST). This amounts to Rs. \_\_\_\_\_ per month plus \_\_\_\_% revenue on Gross Sales.
- 2.2. The minimum reserve price will be valid for three year thereafter it will be increased by 5% every year for the next two years.
- 2.3. The party shall pay Rs. \_\_\_\_\_ on Monthly Basis within five days of corresponding month through RTGS/NEFT mode only as per following bank details.  
Name of Account holder : Central Cottage Industries Corp. of India Ltd.  
Account Number : 10185775245  
IFSC Code : SBIN0006199  
Bank Name : State Bank of India  
Branch : Jawahar Vyapar Bhawan, New Delhi.

The Party shall also pay to CCIC GST @18% or any other tax as applicable from time to time.

- 2.4. The Party shall deposit a refundable security deposit of Rs. \_\_\_\_\_/-equivalent to 45 days Minimum Reserve fees on signing of this agreement.
- 2.5. On signing the agreement, the party will submit 6 post-dated cheques for values equivalent to minimum reserve price per month.
- 2.6. The stamp duty as applicable will be borne by the party for execution of the License Agreement.
- 2.7. That the Party shall keep open the allotted area exclusively for the purpose of display and demonstration of the Products for running the business mentioned herein and shall keep adequate stocks of its products range. On display and demonstration of the Products, in the event of any customer expressing his/her desire to purchase a Product, the Party shall intimate the description of the Products, the selling price and the taxes/rates of taxes thereon to the CCIC in such manner as may be required by the CCIC from time to time, and thereafter:-
  - 2.7.1. CCIC will effect the sale of selected goods and merchandise to customer / consumer of CCIC after purchase from party on cash-memo of CCIC and itself collect sale proceed and make delivery to customer. The payment to the party shall be made within 45 days of each subsequent month on presentation of sales invoice to CCIC after deducting the \_\_\_\_% of the Gross Sales excluding GST as mentioned in Clause 2 of the agreement.





- 2.7.2. It is hereby clarified that the Party shall not be entitled in any circumstance whatsoever to directly sell any Products to the customers and all sales to the customers shall be made only in the manner provided in this agreement.
- 2.7.3. It is further clarified that in the event of CCIC becoming liable to pay any other Tax other than Goods and Service Tax (GST) as a result of the sale of the Products by CCIC to the customers, the Party shall reimburse to CCIC the amount of tax so paid by CCIC within 7 days of the demand being made in this regard. In any event CCIC shall be entitled to deduct all such amounts from any payments due by CCIC to the Party from time to time.
- 2.7.4. In the event of either party being desirous that the customer be offered any discount or schemes on the Products, the same shall be offered only in consultation and concurrence with the other Party.
- 2.7.5. That the Party shall provide proper quality and purity of products at the counters and in case there is any complaint against the product the Party shall ensure that the said articles sold to CCIC is taken back and the price of the same including tax is refunded to CCIC.
- 2.7.6. That in case of loss/damage to CCIC due to improper quality, purity or services from Party, the recovery shall be made from Party of all losses/damages including third party liability on this account.

### 3. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- 3.1. That the Party shall arrange the interior decoration, furniture, fixture at its own cost, but the design of the same will be done in consultation and approval of the CCIC.
- 3.2. The entire maintenance of interior, furniture, fixtures, etc. shall be the responsibility of the Party.
- 3.3. It has been specifically agreed to and acknowledged by the Party that the said space of \_\_\_\_\_ sq. ft. allocated to the Party shall in no way would create any right of any nature in it's (Party) favour and the rights and obligations between the parties herein shall be governed by this Agreement.
- 3.4. This Agreement is non-transferable and the benefits under this Agreement or part thereof shall not be assigned, transferred or otherwise parted within whole or in part by the Party.
- 3.5. That on the expiry of the period of this Agreement or its early termination/determination as contained herein, the Party undertakes to remove all its articles/merchandise from the allocated area of the showroom and thereafter the Party shall have no right whatsoever to enter the said showroom of CCIC to carry on any business.
- 3.6. That the allocated area in the showroom shall be maintained in good condition by the Party subject to the normal wear and tear. The same shall be painted and repaired by the Party at its own cost and expenses as and when it is necessary and deemed fit by the CCIC.
- 3.7. That the Party shall not display, affix or exhibit any signboards or any other writing on the exterior of the allotted area without the written consent of the CCIC.
- 3.8. That the Party shall keep the allotted area in clean and orderly condition and fit for use to the satisfaction of the CCIC and it shall be lawful for the CCIC to enter upon and inspect the same for its satisfaction that all the condition of the Agreement are being complied with.



- 3.9. That the Party shall not use the allocated space for any other purpose except for the purpose of display and participation in the retail sale operation by CCIC.
- 3.10. That the Party hereby agrees and confirm that in view of the specialized nature of product/services involved, the Party will depute trained personnel.

#### 4. INSURANCE

- 4.1. That the Party shall during the period of this Agreement insure against any claim under workmen's Compensation Act or any other act for all the persons employed by it in connection with its business to be carried as aforesaid in the allotted area. The insurance will be taken from such insurance company which is approved by the CCIC, who shall be entitled to inspect on demand all the policies hereinabove mentioned and all the receipts for the premium paid by the Party from time to time.
- 4.2. That the Party shall arrange insurance of goods and merchandise which are subject of this Agreement against burglary, fire, riot, and civil commotion and natural calamities and the premium thereof shall be payable by the Party. In case of any eventuality, claim will be filed by Party as per declared goods/stock of Party.
- 4.3. That the Party shall also discharge all its obligations under various legislations, such as ESI, Provident Fund, payment of Bonus Act, etc. and submit monthly proof of payment of PF, EPS & ESI. Furthermore, if the CCIC is made to pay any amount because of the non-fulfilment of provisions of said legislation on the part of the Party, the CCIC shall be entitled to recover such amount from the Party from/through sales proceeds.

#### 5. INDEMNIFICATION

- 5.1. That the Party undertakes to indemnify and shall keep indemnified the CCIC for any violation of any law, regulation, byelaws and the penalties, fines, taxes etc, which may be levied on the CCIC during display of goods and merchandise on the earmarked area of showroom, by any competent authority or the third party as the case may be.
- 5.2. That the Party shall not hold or permit to hold any public auction in the allotted area.
- 5.3. That the Party shall keep open the earmarked area for the customers of CCIC for such hours as may be fixed by the CCIC subject to the labour regulations in force from time to time. The Party shall also observe annual holidays as observed by CCIC.
- 5.4. That the Party shall obtain all the licenses which are required under the law for the storage display and sale of the articles in the allotted area. Furthermore, the Party shall be liable to pay any taxes or any other duty that may be imposed by any authority on the operation of retail sale as permitted under the Agreement, or which may be payable to the CCIC in respect of the business carried on by the Party.
- 5.5. That it is expressly agreed between the parties that by way Agreement purely a privilege is being given to the Party to use and occupy the allotted area with the object of providing facilities and amenities to the customers and visitors of the CCIC, which is a departmental store and that the Party shall not allow anyone else to use/exploit the permission/privilege assigned by way of this Agreement entered into between the party. It is further expressly agreed that no interest of any kind whatsoever, whether in the nature of tenancy, license or



otherwise is being created in favour of the Party in respect of the allotted area or any part thereof.

- 5.6. Notwithstanding anything contained herein, it is agreed that allotted area shall at all-time be under the control and supervision of the CCIC and the CCIC shall retain dominion and possession of the allotted area and shall have right to direct the mode and manner of the use of the allotted area so as to provide facilities more effectively to the customers and visitors of the CCIC.
- 5.7. That the Party shall keep its stock of all the items which are permitted to be displayed on the allotted area and protect them from fire or any hazard. The Party shall take all necessary measures to prevent the occurrence of any fire or damage to the allotted area but shall not be permitted to carry on any major structural changes or alterations therein.
- 5.8. That the Party shall be liable to pay any taxes or any other duty which may be imposed by the competent authority from time to time in respect of the business of the Party.
- 5.9. That the Party shall observe and comply with all the rules and regulations under the shops and Establishment Act and other labour legislations applicable to them from time to time, and enforced by the local authorities.
- 5.10. That the CCIC shall in no way be liable to pay any salary, wages, compensation to the employees of the Party on any account and there shall not be any relationship of any kind between the CCIC and the said employees of the Party.
- 5.11. That the CCIC shall have the right to object the employment of any person of Party who in the opinion of the CCIC is of bad character and may create nuisance in the showroom or allotted area.
- 5.12. That the CCIC shall provide electricity connection to the Party in the area allotted as per this Agreement and the supply of the same shall be controlled and governed by the CCIC. The Party shall make use of the electricity in accordance with the sanctioned load and ensure that the electrical appliances used by the Party do not create any short circuit in the area. In case of any damage to the property or the electric connection on account of the fault of the Party the same has to be repaired at their own cost. The damaged equipment's fixed or placed at the outlets are liable to be replaced by the Party and in case of any dispute or differences the decision of the CCIC in this regard shall be final.
- 5.13. That the Party shall maintain proper accounts in respect of transactions of sale to CCIC. The said accounts and records are liable for inspection by the CCIC or its duly authorized agent/representative and the relevant accounts books or registers shall always be kept or made available in the allotted area for inspection at all time throughout.
- 5.14. That the Party by virtue of this Agreement by no means acquires any representational rights of CCIC and/or its brand name/logo etc.
- 5.15. That in case during the subsistence of this Agreement any of the saleable materials/items which are banned or the sale of the, which is restricted by the order or notifications issued by the competent authorities or Government, the Party shall fully abide by that and such saleable materials/items shall be immediately withdrawn by Party and shall not be put to display by the Party.
- 5.16. That the allotted area in the showroom of CCIC being used by the Party shall always be in the possession of CCIC and under the supervision and control of the CCIC. The CCIC shall



have the right to decide the passage, route leading to the allotted area for the customers, guest and employees of the Party. The CCIC shall have access to the allotted area at all times.

- 5.17. That the Party agrees and acknowledges that no right whatsoever has been created in favour of the Party pertaining to the allotted area in the showroom of the CCIC and the Party shall not create or claim any tenancy rights or any other right in the said area.
- 5.18. That the address given in this Agreement shall be the address of the parties herein and in case of any change in the address of Party same shall be communicated to the CCIC in writing.
- 5.19. That the CCIC shall not permit any competition within the premises of the Party in the matter of sale by the Party of the goods and merchandise covered by this Agreement. Accordingly, The CCIC shall not grant any permission/privilege to any other dealer to display similar goods in the Central Cottage Industries Emporium.

## 6. TERMINATION

- 6.1. That the term of this Agreement is 3 years commencing from the date of its execution. It is hereby agreed and declared that either party shall be entitled at anytime to terminate this Agreement by giving 90 days' notice.
- 6.2. Notwithstanding anything contained hereinabove the CCIC may without prejudice to any other rights, forthwith terminate this Agreement without any liabilities whatsoever in any of the following events:
  - 6.2.1. Where the CCIC is of the opinion that the Company has committed breach of any of the provisions of the License Agreement;
  - 6.2.2. Where Company has become bankrupt, insolvent, compounds with its creditors or shall have distress or execution upon its property or is wound up or goes into liquidation (except for the purposes of a bonafide reconstruction) or shall have a receiver, liquidator or administrator appointed for the whole or any part of its assets or shall suffer the appointment of any similar person under the laws of its domicile;
  - 6.2.3. Where the CCIC of the opinion that the Company's services, actions, deeds etc. are or likely to be injurious/ prejudicial to the interest and reputation of the CCIC or are such as would constitute and offence under the applicable laws;
  - 6.2.4. The Memorandum and Articles of the Company to do business is suspended in accordance with the applicable Law or there is change in the ownership or management of the Company;
  - 6.2.5. The Company defaults in paying the minimum license fee as agreed upon in the Agreement for more than 02 months at a stretch.

## 7. CONSEQUENCES OF TERMINATION

Upon termination of the Agreement as aforesaid:

- 7.1. The Company shall forthwith cease to use and occupy the allotted space and shall forthwith, vacate and remove itself and its belongings peacefully from the allotted space;



- 7.2. The Company shall be entitled to remove all its furniture, fittings and other goods including any sign boards/notices displaying the name of the Company installed at its costs. In the event, the Company fails to do so, CCIC shall be entitled to remove the same at the cost and expense of the Company and without any liability for damages that may incur as a result thereto.;
- 7.3. The Company shall forthwith hand over all the Confidential Information, which it has received, from CCIC during the tenure of the agreement, to CCIC including any software programmes, data bases etc.;
- 7.4. The Company shall not be entitled to display the name and Brand of CCIC anywhere and shall cease to use/have any rights to Trade Marks, if any, conferred on it as per the agreement and shall also forthwith cease to use the logos, symbols, trademarks etc. of CCIC anywhere permitted or in any way directly or indirectly make any representations to the effect that it is associated with CCIC;
- 7.5. The interest free security deposit shall be returned by CCIC to the Company on peaceful vacation of the premises and after applicable deductions, if any;
- 7.6. The Company shall, upon termination, reconcile and settle their dues immediately. The modalities for such settlement shall be mutually agreed upon in writing which writing shall form an integral part of the agreement;
- 7.7. Termination by CCIC shall in no way adversely affect its rights to bring appropriate action to recover damages/dues or to set off any claims or any amount owing by CCIC from the Company.

## 8. NOTICES

- 8.1. Any directions/instructions/requirements under the agreement to be given by the CCIC to the Company shall be deemed to have been validly given, if signed by the Managing Director, Company Secretary, any other officer duly authorized by the Managing Director of the CCIC, or such other person as mutually agreed to between the parties in writing, which writing shall form integral part of the agreement;
- 8.2. Any communication/notice/letter(s)/document(s) sent by one party to the other shall be in English or Hindi or both and delivered at the address stated in the agreement or at such other address notified in writing to the other party. The communication/notices etc. may be sent by mail, personal delivery and where sent by fax or e-mail or any other electronic mode, it must be backed with Registered A/D communication/courier receipt for valid service;
- 8.3. The addresses for communication are as under:

CCIC : For the attention of :  
Managing Director/Company Secretary

Address : Central Cottage Industries Corporation of India Ltd.  
Jawahar Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi 110 001

Tel : 011- 23322107

E-mail : [cscic76@gmail.com](mailto:cscic76@gmail.com)



Company : For the attention of :

Address :

Tel :

E-mail :

## 9. ASSIGNMENT

The agreement cannot be assigned/transferred by the Company nor can the Company grant any sub-license and/or the right to operate and/or delegate any duties or obligations arising under the agreement to third parties without the prior written permission of the CCIC. However, the CCIC is fully authorized to sell, transfer and assign etc. or any of its rights and benefits under the agreement and its business or its business entity. The purchaser/transferee/assignee would ipso facto step into the shoes of the CCIC and Party shall continue with its obligations under the agreement to the new purchaser/transferee/assign.

## 10. DISPUTE SETTLEMENT - ARBITRATION

10.1. Any dispute, controversy, contest or claim arising out of or relating to the agreement, or the breach, termination or validity thereof shall be resolved amicably in the first instance;

That in the event of any dispute, controversy or claims arising out of or relation to the agreement or the breach, termination or invalidity thereof shall be first attempted to be settled amicably. If no amicable settlement is reached then the same shall be settled by the Sole Arbitrator in accordance with the provisions of the (Indian) Arbitration and Conciliation Act, 1996. The proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, Rules thereunder and/or subsequent enactments, modifications in respect thereof. The arbitration proceedings shall be in English language.

## 11. JURISDICTION OF COURTS

Any suit, reference or other filing permitted or required to be made pursuant to the Arbitration and Conciliation Act, 1996 in respect of matters arising out of the agreement shall be instituted only in competent courts at New Delhi and parties specifically agree to exclude the jurisdiction of any other court.

सीसीआईसी/सीएस/  
ई-नोटिस/  
अक्टूबर'2024/01

सीसीआईसी के नई दिल्ली शोरूम में  
रियायती व्यवस्थाओं के लिए ई-टेंडर



सीसीआईसी ऑफ इण्डिया  
लि.,  
पीएसयू (वस्त्र मंत्रालय)

IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES HEREIN HAVE PUT THEIR SIGNATURE ON THE DATE AND PLACE AS MENTIONED ABOVE.

**SCHEDULE - I**

Details of Products allowed to be dealt:

**Party**

(Through its Authorized Signatory)

**Central Cottage Industries  
Corporation of India Ltd.**

(Through its Authorized Signatory)

**WITNESS OF THE PARTY**

1.

2.

**WITNESS OF THE CCIC**

1.

2.